377
14/9/12

खण्ड : 12

संख्या : 12, 13, 16

नवम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(द्वादश सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

सत्यमेव जयते

मंगलवार, दिनांक : **18 जुलाई 1989 ई०**
बुधवार, दिनांक : **19 जुलाई 1989 ई०**
सोमवार, दिनांक : **24 जुलाई 1989 ई०**

श्री कुमुद रंजन झा : मैं सरकार से जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्य श्री यमुना प्रसाद शर्मा जी ने कहा कि स्थानीय उपायुक्त के कमरे में दोनों पक्ष के लोगों के विमर्श के बाद ही रूट का निर्णय हुआ था, क्या यह बात सही है कि उसके उपरांत रांची में भी उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव, आई० जी०, डी० आई० जी० सभी थे और उनलोगों ने रूट बदल दिया और वहां जो अनुशंसायें जिला स्तर पर आयी उन अनुशासनों को नहीं मान कर एक नया रूट दिया जिससे यह कम्यूनल टेन्सन बना ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : इसमें इस बात की जानकारी नहीं है।

सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना

श्री रामशरण प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की नियम समिति द्वारा यथा अनुशासित सभा नियमावली के नियम 287 (3) के अन्तर्गत विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली से संबद्ध संशोधन के प्रारूप की प्रति सभा के समक्ष उपस्थापित करता हूं।

श्रीमती कमला पांडेय : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, याचिका समिति बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के अन्तर्गत याचिका समिति का 87वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष उपस्थापित करती हूं।

वित्तीय कार्य :

वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों श्रम एवं रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा पर्यटन पर वाद विवाद एवं मतदान :

श्री महावीर पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

की श्रम और रोजगार के सबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वालें वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पुर्त्ति के लिए 31,89,26,500 (एकतीस करोड़, छियासी लाख, छब्बीस हला, पाँच सौ) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाय। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

श्री उमाधार प्रसाद सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—इस शीर्षक की मांग दस रुपये से घटाया जाये राज्य सरकार कि श्रम एवं रोजगार नीति पर विचार-विमर्श के लिए मेरे कटौती प्रस्ताव देने का तात्पर्य है कि उनकी मांग में कोई राशि किसी योजना पर खर्च करने के लिए नहीं है, सारी गैर-योजना मद पर खर्च हानेवाली है। जैसे 1 करोड़ 4 लाख 85 हजार गैर याजना मद पर, 5 करोड़ 2 लाख 98 हजार 500 गैर योजना मद पर, 1 करोड़ 5 लाख 80 हजार गैर योजना मद पर, 11 करोड़ 54 लाख 47 हजार रोजगार सेवाओं पर यानी गैर योजना मद पर। यानी सारी रकम गैर याजना मद पर खर्च करने के लिए है।

इस माँग का सारा व्यय गैर याजना मद में है इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस विभाग के प्रति सरकार का कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं है सिर्फ औपचारिकता के लिये रखा है। मैं अब बोल रही हूँ कि इस माँग के लिए जो राशि रखी गयी है वह और राज्यों से कम है जबकि बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार में जहाँ इस विभाग में खर्च के लिये वहाँ

31 करोड़ ये कुछ ऊपर की राशि रखी गयी है 1988-89 के लिये वहाँ गुजरात में इस माँग के लिये 33 करोड़ 30 लाख, केरला में 28 करोड़ दो लाख 21 हजार है जो बहुत छोटा राज्य है, महाराष्ट्र में 36 करोड़ 92 लाख है जो बिहार के तुलना में अधिक राशि है। बिहार में एक करोड़ के लगभग संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं एक करोड़ के लगभग असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं यानी इस राज्य में श्रमिकों कि संख्या 5 करोड़ के लगभग है जिसके लिये सिर्फ 31 करोड़ की माँग की जा रही है, जबकि इससे छोटे-छोटे राज्यों में इस मद में ज्यादा राशि रखी गयी है। कुछ दिन पहले श्रम विभाग में एक प्रधान सचिव थे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के थे अभी भारत सरकार में हैं यहाँ अभी नहीं हैं। वे बड़े ही ईमानदार अफसर समझे जाते थे। उनका कहना था कि इसे लेवर डिपार्टमेन्ट क्यों समझते हैं यह तो एम्पलायर डिपार्टमेन्ट में है। उनका अपना अनुभव था कि यह लेवर डिपार्टमेंट है। श्रम विभाग में संयुक्त श्रमायुक्त से लेकर नीचे के इंसपेक्टर तक एम्पलायर के पेरांल पर हैं। तब तमाम अधिकारी एम्पलायर पर निर्भर करते हैं। श्रम विभाग में जितने भी और जिस तरह के भी न्यायलय हैं सब जगह मिलाकर करीब 30 हजार से अधिक मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं, वर्षो वर्ष यानी दस वर्षो से विचाराधीन पड़े हुए हैं। सरकार न्युनतम मजदूरी की बात करती है लेकिन बात ऐसी नहीं है। सिर्फ जवाहर योजना के अधीन 20 रुपया न्यूनतम मजदूरी रखा गया है नहीं तो बाकी सब जगह दस रुपया ही है, जबकि दूसरे राज्यों में ज्यादा हैं गुजरात में 11 रुपया है, हरियाणा में 17, 87 रुपया है, जम्मू कश्मिर में 15

रुपया कर्नाटक में 12 रूपया से 17 रूपया और केरला में 12 रूपया में 12 रूपया से 15 रूपया तक रखा गया हैं। इस तरह से आप देखें कि न्यूनतम मजदूरी बिहार में सब राज्य से कम रखा गया हैं ....

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट ऑफ आर्डर है। माननीय सदस्य श्री उमाधर प्रसाद सिंह कृषि कार्य के लिए मिनिमम वेजेज जो रखा गया है, राज्यं में उसके बारे में कह रहे हैं या औद्योगिक कार्य के लिए जो मिनिमम वेज रखा गया है उसके संबंध में क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र, में अनस्कील्ड लेबर के लिए भी 20 रुपया रखा गया है, इसे माननीय सदस्य स्पष्ट करें तो अच्छा रहेगा।

श्री उमाधर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार में अभी सिर्फ जवाहर रोजगार योजना के लिए ही 20 रुपया है बाकी सब जगह कम ही दर है। बिहार में हर तरह के कार्य के लिए अलग-अलग कर तय किया गया है मजदूरी और इसके भुगतान कराने का अधिकार अंचलाधिकारी को दिया गया है।

उनके न्यायालय में तय होगा और श्रम निरीक्षक प्रतिवेदन देंगे। अब सरकार बतावें कि कितने श्रम निरीक्षकों ने न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के बारे में प्रतिवेदन दाखिल किया है और कितने सर्किल औफिसरों ने कितने मामलों का निष्पादन किया है। मैं चुनौती देता हूं।

श्री बंसत सिंह : मेरी व्यवस्था है। व्यवस्था यह है कि माननीय सदस्य क्या बौलते हैं कल सी० एम० बोल रहे थे कि इनकी बात मेरी समझ में नहीं आती है और हमलोगों के समझ में

भी इनकी बात नहीं आती है, ये क्या बोलते हैं खुद समझ नहीं पाते हैं।

सभा की कारवाई 2 बजे अप० के लिए स्थागित की जाती है।

अन्तराल के बाद

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री भोला सिंह ने सभापति का आसन गहण किया।)

श्री उमाधर प्रसाद सिंह : सभापति जी, मैं कह रहा था श्रम विभाग की जो मांग पेश किया है आज उसके संबंध में विभाग की ओर से एक प्रतिवेदन बांटा गया है। सभापति जी, इस प्रतिवेदन में 5 आदमी के रोजगार की व्यवस्था नहीं है, गारन्टी नहीं है। 5 आदमी को रोजगार देने की गारन्टी की कोई योजना इसमें नहीं है। सभापति जी, इस तरह सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सदन में झूठा प्रतिवेदन बांटते हैं। इसमें लिखा हुआ है अशोक पेपर मील 2-8-85 से बन्द है, लौक आउट नहीं है, ले आउट नहीं है प्रोडक्शन भले हीं बन्द है 1982 से। लेकिन ये कह रहे हैं 85 से मील बन्द है। इस ढंग की गलत जानकारी सदन को देते हैं। ये कितने जागरूक हैं, इनका विभाग जो चीज है, नहीं उसकी जानकारी देता हैं, कानून का इनको पता नहीं है कि ले आउट है, तालाबन्दी है या क्या है, इनको पता है, इनको पता नहीं हैं।

ये किताब में छपवा देते है कि यह मिल 1985 से बंद है। बीड़ी-सिगार अधिनियम, बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम -

इस तरह से 9 अधिनियम का इन्होंने उल्लेख किया है, एक भी कानून कहां लागू है ? कही भी बता दें कि एक भी कानून लागू है।

मैनें पिछली बार जब ग्रामीण विकास विभाग का मांग हो रहा था, मैनें चुनौती दी थी कि एक जगह के बारे मे " भी बतला दें व्यक्तिगत क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में, ठीकेदार के अन्दर जो मजदूर खटते हैं, उनको ये निर्धारित मजदूरी दिलवाते हों ? कांटेक्टर एबूलुशन ऐक्ट है, लेकिन कहीं इस ऐक्ट का पालन नहीं हो रहा है, ठीकेदार अपने लेबर का रजिस्टर मैन्टेन नहीं करते हैं.......

अब आप समाप्त करें।

श्री उमाधर प्रसाद सिंह : हूजुर मैं मुभर हूँ, मुझे और बोलने दिया जाय। हूजुर कानून कहीं भी इन्होंने लागू नहीं किया है। मैं कह रहा था श्रम विभाग की नीति इस बात से पता चलेगा कि वर्ष 1960 में 193 लाख मजदूर थे, संगठित क्षेत्र में विभिन्न उद्योगो में यह या 1960 में और 1970 में 175 लाख हो गया यानी 18 लाख मजदूर की संख्या घटी। 1980 का और 1988 का डाटा उपलब्ध नहीं, अगर इसको लिया जायेगा तो 175 से घटकर एक करोड़ से भी कम मजदूरी की रह जायेगी संगठित क्षेत्र में, 22 हजार छोटे-बड़े उद्योग बंद है।

हूजुर मैं कह रहा था कि सरकार की श्रम नीति में बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक आबादी का सवाल है हूजुर, एक करोड़ के लगभग संगठित क्षेत्र में मजदूर हैं, तीन करोड़ के लगभग रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बेकार लोग हैं और एक करोड़ जो इधर-उधर काम कर रहे हैं, कांट्रेक्टी के

लेबर के रूप में तमाम क्षेत्रों में, कुल पांच करोड़ हुये, इन पांच करोड़ बेरोजगारों के लिए 30 करोड़ 76 लाख रूपये का प्रावधान इन्होंने रखा है, इनकी कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है।

आप कुछ सुझाव दें।

पांच करोड़ के लिए इतना और शिक्षा के लिए आठ अरब, मुट्ठी भर लोगों के लिये 68 अरब और पांच करोड़ लोगों के लिये 30 करोड़ ?

हूजुर, मैं सविधान का उल्लेख करना चाहता हूँ, आपने उस दिन ऑब्जेक्शन दिया था, हूजुर संविधान में जो बेसिक तत्व हैं, उसके धारणा के 43 एवं 42(क) जो है, उसमें मजदूरों के जीवन निर्वाह के संबंध में है- संविधान की जो धारणा है, इसकी कसौटी पर आप देखेगें श्रम विभाग का जो डिमाण्ड है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, संविधान के अवधारणा के विपरीत है, संविधान में समाजवाद की लम्बी-लम्बी बात कहते है, लेकिन समाजवाद की जो मुल धारणा है, मजदूरों के हाथ में उत्पादन साधन का साझेदारी होना, उत्पादन साधन का स्वामित्व होना, इसके लिये कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है.

यदि आपके हाथ में सत्ता आ जाये तो समाजवाद ला देगें ?

श्री उमाधार प्रसाद सिंह : मैं जरूर कोशिश करुंगा लाने का, लेकिन आप जानते है, कैसे लाया जायेगा। अभी हूजुर आप चेयर पर हैं, आप मुझ से बेहतर जानते है।

बिना डेमोक्रेटिक रिभोल्यूशन के समाजवाद क्रांति होगा क्या ?

श्री उमाधार प्रसाद सिंह : मार्क्स ने भी कहा था मजदूरों को रोटी से ज्यादा शौर्य, आत्म-सम्मान एवं स्वाभिमान की जरुरत है।

(इस अवसर पर लाल बत्ती जली।)

हुजुर, आपने लाल बत्ती क्यों जला दीं, मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

सभापति : आपने मार्क्स का नाम लिया और लाल बत्ती जली।

श्री उमाधर प्रसाद सिंह : मार्क्स के नाम पर तो आप लाल बत्ती जलायेगें ही। हूजुर, मार्क्स ने भी कहा था कि मजदूरों को आत्म-सम्मान चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, रोटी तो छीन लेगा वह, लेकिन आप भीक्षा, दान की संस्कृति पैदा कर रहे हैं, आपके मंत्री, आपके अधिकारी जाते है, भूमि का पर्चा बांटते है, आई० आर० डी० पी० का लोन बांटते है जैसे सामंती, राजा भीखारी को दान देते हैं उसी तरह से काम कर रहे हैं और मजदूरों को हक की जानकारी देने के बजाय भीक्षा की जानकारी दे रहे हैं, इनके आत्म-विश्वास को खत्म कर रहे हैं, आप एक नया कल्चर पैदा कर रहे हैं।

जवाहर रोजगार योजना का बहुत ढ़ोल पीटा गया, आपने जो इसमें पैसा दिया है, 300 करोड़ करीब इसमें आपने दिया हैं, एक लाख रूपया आता है प्रति पंचायत। आपने वायदा क्या किया, आपने वायदा किया कि कम से 50 दिन प्रति परिवार एक आदमी को रोजगार देंगे, मैंने 3-4 पंचायत का सर्वे किया है, 3-4 पंचायत को मैंने देखा है, इन पंचायतों की आबादी.....

मंगलवार, तिथि 18 जुलाई, 1989 ई०

श्री बसन्त सिंह : सभापति महोदय, मैं...

सभापति : शांति, शांति। माननीय सदस्य श्री बसंत सिंह, आप विधान-सभा के नियम एवं प्रक्रिया को निकालिए, आप किस नियम के तहद खड़े हैं आप बैठ जायें।

श्री उमाधर सिंह : सभापति जी, इनका जो जवाहर योजना हैं, जिसका बड़े जोरो से ढिढ़ोरा ये पीट रहे हैं कि श्रमिकों को रोजगार देंगे, प्रत्येक पंचायत में पांच में एक को रोजगार देंगे। मैंने कुछ पंचायतों का निरीक्षण किया हैं और गणना भी किया है और पाया है कि प्रत्येक पंचायत में लगभग पांच हजार से कम श्रमिक नहीं है, तो इस हिसाब से प्रत्येक पंचायत में एक हजार आदमी को रोजगार इनको देना पड़ेगा। लेकिन हमने हिसाब लगाकर देखा है कि जो इनके पास साधन हैं, उसके अनुसार मात्र पांच दिनों के लिए ही बीस रुपये प्रति दिन के हिसाब से ये रोजगार दे सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बाकि ये दिन वे मजदूर किस के फार्म में, किस फैक्ट्री में काम करने जायेंगे, क्या वे राजीव गांधी के फार्म में जायेंगे या रामाश्रय बाबू की फैक्ट्री में वे मजदूर काम करेंगे ?

सभापति जी, आज ट्रेड यूनिनिज्म किया जा रहा है, चाहे सत्ता पक्ष की ओर से या विरोधी पक्ष की ओर से। चाहे जहां से भी हो ट्रेड यूनिनिज्म के द्वारा इस तरह से मजदूरों को जकड़ लिया गया है कि वे किसी तरह निकल नहीं सकते हैं।

मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि सभापति जी, कि सरकार एक श्रम नीति तैयार करें, जिसमें उद्योग विभाग को बुलाकर, श्रम विभाग को बुलाकर के और कृषि विभाग को बुलाकर एक श्रम

नीति तैयार करे। आज आप देखते हैं कि हमारे यहां सीमान्त किसानों की जनसंख्या बहुत ज्यादे हैं और उनकी हालत दयनीय हैं। सरकार को उनकी पूर्ण सब्सीडी देने की व्यवस्था करनी चाहिए। आज सीमान्त किसानों को मजदूरों की मजदूरी देने की स्थिति नहीं है।

सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री जयकुमार पालित : सभापति महोदय, माननीय मंत्री के द्वारा "श्रम और रोजगार " के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होनेवाली तिथि तक व्यय करने के लिए जो मार्ग प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में सामान्य रूप से पूरे राज्य में औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिए एक अत्यंत प्रभावकारी कदम उठाया है और हर समय हमारी सरकार इस बात के लिए सचेत है कि राज्य के अन्दर छोटे या बड़े उद्योगों में किसी प्रकार का औद्योगिक विवाद न हो और यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो तो उसका शीघ्रताशीघ्र निष्पादन किया जाय। हमारी सरकार की मंशा हैं कि श्रमिकों को उनका हक मिले और आपस में बैठ कर, सद्‌भाव का वातावरण बनाकर सभी विवादों का हल निकाला जाय लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पिछले पांच वर्षों में जहां एक ओर हमारी सरकार की नीति रही है कि उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों को सही हक मिले, उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जाय, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की नीति रही है, आज सदन में लगभग सभी विरोधी पक्ष

के माननीय सदस्यगण नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि विरोधी दलों ने पिछले पांच वर्षों में लगातार, इस राज्य में औद्योगिक और श्रमिक शांति का जो वातावरण है, उसे खतम करने की हर समय कोशिश की है और हमारी सरकार की ओर से यह प्रयास रहा है कि इन्डस्ट्रीयल रिलेशन को डेवेलप किया जाय, आद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जाय, श्रमिक दिवस की संख्या बढ़ायी जाय। अभी माननीय सदस्य, श्री उमाधर बाबू ने कहा, मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि माननीय सदस्य, श्री उमाधर बाबू अशोक पेपर मिल को खोलवाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे और जरूरत से ज्यादा प्रयत्नशील रहे, लेकिन ये कहते हैं कि ट्रेड युनियन मजदूरों का शोषण करते हैं। एक ऐसे वामपंथी सदस्य के मुंह से इस तरह की बात कहना अशोभनीय और अविश्वसनीय लगता है। ट्रेड यूनियन श्रमिकों की भलाई चाहता है, वह मैनेजमेन्ट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ संघर्ष कर के प्रबंधन और सरकार को बाध्य करता है उनकी जायज मांगों को मनवाने के लिए......

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य ने कहा कि इन्होंने जरूरत से ज्यादा प्रयत्न किया तो जरूरत से ज्यादा क्या हैं, इसको स्पष्ट कर दीजिए।

सभापति : माननीय सदस्य, श्री जयकुमार पालित जी, माननीय मंत्री, श्री रामाश्रय बाबू कह रहे हैं, इसलिए आप जरा सावधानी से बोलेंगे।

मंगलवार, तिथि 18 जुलाई, 1989 ई०

श्री जयकुमार पालित : सभापति महोदय, मैं अवश्य प्रयास करूंगा। तो मैं कह रहा था कि वर्ष 1988-89 में औद्योगिक और श्रमिक स्थिति काफी सामान्य और शांतिपूर्ण रही। मैं इसका हवाल तथ्यों और आंकड़े देकर माननीय सदस्यों को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा। पिछले वर्ष 1988-89 में कुल इन्डस्ट्रीयल डिसयुट, औद्योगिक विवाद जो उठाये गये, उसकी कुल संख्या 620 थी, इनमें से 157 विवादों को निबटारा सरकार के द्वारा , श्रम विभाग के द्वारा कर दिया गया, 181 विवादों को इन्डस्ट्रीयल ट्रिव्यनल में रेफर किया गया। इस तरह से आप देखेंगे कि कुल इन्डस्ट्रीयल डिसप्युट के मामलों की संख्या 620 थी, उनमें से पचास प्रतिशत से अधिक यानी 338 मामलों का निबटारा कर दिया गया और शेष जो विवाद रह गये हैं, वे श्रम विभाग में श्रमायुक्त के यहां निबटारा हेतु लम्बित हैं और इसके लिए समझौता करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके निष्पादन के लिए कार्रवाई की जा रही है। माननीय सदस्य ने कहा कि ट्रेड युनियन मजदूरों का शोषण करता है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रेड यूनियन एक ऐसी शक्ति है जो मजदूरों की बात की सरकार के सामने और प्रबंधन के सामने रखकर उसे मनवाने में सफल होती है। हां, यह बात सही है कि विरोधी पक्ष से संबंध जो ट्रेड युनियन्स हैं, अइटक, सीटू, हिन्दु मजदूर संघ आदि, जो हैं, वे श्रमिकों का शोषण करते हैं, श्रमिकों के संगठन का नाजायज उपयोग करते हैं।

श्री जयकुमार पालित : पिछले वर्ष हटिया में नमूना हमने देखा और नौ महीने बंद है और रोहतास इंडस्ट्रीज कई सालों से बंद है। इसके अलावे दूसरे इंडस्ट्रीज कई सालों से बंद

है। इसके अलावे दूसरे इंडस्ट्रीज जो बंद हैं उसके लिए विरोधी पक्ष के लोग जिम्मेवार हैं। वे राज्य के हित के विरूद्ध कार्य करते हैं।

सभापति : माननीय सदस्य, श्री जयकुमार पालित, ट्रेड यूनियन इकोनोमिज्म हो और उसमें माइनस राजनीति हो तो कैसा होगा ?

श्री जयकुमार पालित : सभापति महोदय, मैं आप से ट्यूटोरियल क्लास बाद में ग्रहण करूंगा, अभी मुझे इस मांग पर बोलने का मौका दिया जाय।

सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि विभिन्न उद्योग पूंजियों में मैनडेज का लौस हुआ है। माननीय सदस्य, श्री उमाधर सिंह जी ने बहुत सी बातों का हवाला दिया हैं, लेकिन मैं उसको तथ्यों से साबित करना चाहता हूं। हम 84 से 89 के मार्च तक पांच साल का आंकड़ा इस संबंध में रखना चाहता हूं। हड़ताल और तालाबंदी के कारण, रेकर्ड को देख लें, पिछले पांच वर्षों के इतिहास को देख लें, जितने उद्योग बंद हुए उसमें हड़ताल और तालाबंदी के कारण बंद है, उसमें विरोधी दल के लोग, आइटक तथा सिटों के लोग जो थे उनके द्वारा हड़ताल कराये गये और उस दरम्यान जो मैनडेज लौस हुआ वह इस प्रकार है–

1984 में 12,50,305 मैनडेज का लौस हुआ,

1985 में 12,53,710 मैनडेज का लौस हुआ,

1986 में 3,59,102 मैनडेज का लौस हुआ,

1987 में 17,45,218 मैनडेज का लौस हुआ,

1988 में 5,14,492 मैनडेज का लौस हुआ,

1989 के मार्च 45,310 मैनडेज का लौस हुआ,

इस तरह आप देखेंगे कि 1987 में जहां 17,45,218 मैनडेज का लौंस हुआ उसको कम करके 1988 में 5,14,492 पर लाया है और 1989 के मार्च तक में 45,310 पर ला दिया गया। यह हमारी सरकार को उपलब्धी का परिचायक है और हमारी सरकार प्रयत्नशील है कि कम से कम नुकसान हो। पिछले कई वर्षो से बंद पड़े बड़े इकाइयों को खोलने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री का आगमन पटना में हुआ, उन्होंने गांधी मैदान में कहा कि रोहतास इंडस्ट्रीज को चलाया जाय। इसके लिए माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, वे सभी काफी प्रयत्नशील रहे हैं। हमारे प्रधनमंत्री ने इन सारी बातों को बहुत अच्छी तरह समझा और राजभवन में बैठकर सारे ऑफिसियलस के साथ विचार-विर्मश किया था कि रोहतास उद्योग को कैसे चलाया जाय। अशोक पेपर मिल को कैसे चलाया जाय और उन्होंने घोषणा की कि अशोक पेपर मिल को इसी वर्ष चालू किया जायगा। अब तो उमाधर बाबू को कटौती का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। इन्होंने सदन के भीतर और सदन के बाहर काफी इसके लिए यूस आमरण अनशन किया और काफी आंदोलन किया। अब इन्हें खुश हो जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि इन्हें खुश होना चाहिए और सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली से आकर पटना, और पटना के गांधी मैदान में बिहार की

जनता को बतलाया कि रोहतास इन्डस्ट्रीज ...के जी भायवुल यूनिट्स हैं उन्हें चालु करायेंगे, हम अशोक पेपर मिल को निश्चित रूप से खड़ा करेंगे और इसी वर्ष चालू करेंगे, यह हमारी सरकार को उपलब्धि है।

सभापति महोदय, सीमेन्ट फैक्ट्री जपला की भी चर्चा इस सदन में कई बात उठायी गयी, उसकी बंदी कोई सरकार ने नहीं करायी है, उसकी तालाबंदी गैरकानूनी है और गैर कानूनी तरीके से उसकी तालाबंदी पहली फरवरी से प्रबंधन द्वारा कराया गया है। सरकार ने इस तालाबंदी को गैर कानूनी घोषित किया और उसके बाद कानून समत कार्रवाई सरकार ने की है । और तालाबंदी के खिलाफ जो कागजीनेबुल ऑफेन्स हो सकते है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी । मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, बतलाना चाहूंगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में जितने भी इकाईयां हैं, जितने प्रकार के नियोजन हैं, उनकी कुल संख्या 63 हैं, 63 तरह के नियोजन राज्य भर मे हैं, चाहे वह निजी प्रबंध में हो चाहे सरकारी प्रबंध में चाहे गैर सरकारी प्रबंध मे हों। इनमें 60 टाईप का इम्पलायमेन्ट है, 60 प्रकार का नियोजन है, जिनमें मीनिमम वेजेज का दर निर्धारित किया जा चुका है और न निर्धारित दर को लागू करने के लिए प्रयत्नशील है। सभापति महोदय लेकिन इसी संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, उन्हें यह बतलाना चाहूंगा कि इनमें तीन तरह के ऐसे नियोजन हैं जिनमें अभी तक इसका दर निर्धारित नहीं हुआ है और वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हैं सिलाई उद्योग एवं हैण्डलूम उद्योग। इन

उद्योगों में जो कामगार हैं, जो बुनकर हैं, जो इसमें श्रमिक हैं, उनका मीनिमम वेजेज का निर्धारण करने हेतु सरकार ने 1984 में एक कमिटी का गठन किया था, इसके अलावा जो निजी क्लीनिक और नर्सिंग होम हैं उनके लिए भी सरकार ने एक कमिटी का गठन किया था, संयोग की बात हैं कि हैंडलूम से संबंधित कमिटी का मैं भी एक सदस्य था और आज तक उस समिति की रिपोर्ट नहीं बन सकी है, इसका कारण यह है कि सरकार का जो विभाग है उसने समिति की बैठक नहीं बुलाई है और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि प्रतिवेदन नहीं मिल सका है। हैण्डलूम और सिलाई उधोग में कार्यरत मजदूरों के लिए अभी तक मीनिमम वेजेज का निर्धारण नहीं किया गया है। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि और इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हैण्डलूम सेक्टर हमारे राज्य का सबसे पिछड़ा और कमजोर वर्ग का सेक्टर है। प्रधानमंत्री ने इसे बीस सूत्री के मद में विशेष ध्यान दिया है और मुझे अफसोस है कि अभी तक इसके संदर्भ में मीनिमम वेजेज का निर्धारण नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि इससे संबंधित कमिटी का शीघ्रता से बैठक बुलवाकर इसकी रिपोर्ट प्राप्त करें। मैं बतलाना चाहूंगा कि इस कमिटी की बैठक आज से दो वर्ष पूर्व बुलाया गया था तो सरकारी पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, इससे संबंधित लोग जो थे वे उपस्थित नहीं हुए और समिति की बैठक बुलाने में श्रम विभाग स्वयं आनाकानी करता है,इसलिए समिति की बैठक बुलवाकर इसके लिए मीनिमम दर का निर्धारण किया जाए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि

इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेन्शन की बात है और इस सदन के 324 निर्वाचित सदस्य से सीधे जुड़ा हुआ प्रश्न है, सभी लोग इससे प्रभावित हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि एक ओर सरकार ने 30 रूपया प्रतिमाह की दर से समाज के बेसहारा विधवा, बूढ़े, बूढ़ियों को देने की घोषणा की तथा इसका मूर्त रूप 1980-81 से देती चली आ रही है ओर इसमें विगत वर्ष से और आने वाले वर्ष में 50 करोड़ 80 लाख रूपये का प्रावधान हुआ है तथा इसमें 50 करोड़ 80 लाख रूपया वर्ष 1988-89 में व्यय भी किये गये हैं अर्थात् 51 करोड़ रूपया समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को जिसमें विधवा बेसहारा लोगों को भुगतान किया जा रहा है, उससे 1480 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, लेकिन सभापति महोदय, इसके वितरण में कई प्रकार की खामियां हुई है। पिछले दिनों सरकार का स्पष्ट निर्देश था तथा स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री चन्द्रशेखर सिंह ने 1984 में इसी सदन में आदेश दिया था और 1986 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बिन्देश्वरी दूबे जी ने भी आदेश दिया था कि वैसे सभी लोग जो 2 प्रतिशत से ज्यादा आबादी के अनुपात में पेंशन दे दिया गया है, पेंशन स्वीकृत है, तो सभी लोगों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा और जिन लोगों को काट दिया गया है, पदाधिकारियों के द्वारा, जिन लोगों को सही ढंग से भुगतान हुआ है और काट दिया गया है, वैसे लोगों को फिर से पुर्नजीवित किया जायेगा। सभापति महोदय......

सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री जयकुमार पालित : सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार को इस बात को देखना चाहिए कि वर्ष 1984-85 में राज्य के जिन जिलों में जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों का पेंशन काट दिया गया था, आकरण बिना किसी आधार के, उसकी फिर से पुर्नजीवित करने हेतू विशेष रूप से वरिष्ठ पदाधिकारियों की इसकी समिति बनाकर उसको पुर्नजीवित करने की कार्रवाई करें। यह सरकार के वेलफेयर स्कीम के तहत यह सबसे इमपौरटेंट स्कीम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की चिन्ता है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और उसके लिए स्वनियोजन 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत दिये गये हैं। इसके अलावे बेरोजगारी भत्ता भी सरकार ने अनुशंसा किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी भत्ता बेरोजगार युवकों को मिल रहा हैं। वैसे युवक जो 1984-85, 85-86 से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था और यदि किसी कारण से उन्होंने अपना इमप्लायमेंट एक्सचेंज में उन्होंने अपना रिनिवल नहीं कराया, तो क्या उनकी बेरोजगारी समाप्त हो गयी, क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। इस संबंध में सभापति महोदय, सरकार की ओर से निर्देश दिया जाय कि जिला स्तर पर उनके आवेदनों के आधार पर जो बेरोजगारी भत्ता पा रहे थे और पिछले 2, 3 वर्षों से वे जिन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं किया गया है, उनके आवेदन को देखते हुए उन्हें बेरोजगारी भत्ता पुनः प्रदान की जाय।

सभापति : अब आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठ जाय।

श्री जय प्रकाश गुप्ता : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो श्रम एवं नियोजन विभाग का मांग पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। आज यह सर्वविदित है कि आज बिहार राज्य में पिछले सालों की अपेक्षा इस साल हमारे सात औद्योगिक क्षेत्रों में बिल्कुल शांति बनी रही है और लेबर डिसप्यूट, इन्डस्ट्रीयल डिसप्यूट लेबर प्रॉबलम के कारण जो भी मामले उठते थे, परेशानियाँ होती थी, हड़तालें होती थी, वह इस वर्ष 88-89 में नहीं बल्कि 89-90 के अभी तक के समय में भी बहुत ही कम रही है।

अपेक्षाकृत हम कह सकते हैं बहुत ही उत्साहवर्धक है। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि बिहार राज्य में औद्योगिक शांति कायम रहे। चूंकि औद्योगिक शांति से ही श्रमिकों का उत्थान तथा उनकी भलाई हो सकती है और उद्योग धंधा पनप सकता है। इन तथ्यों को सरकार ने समझा है और उसी के अनुरूप सरकार काम कर रही है।

यह बात सही है कि औद्योगिक शांति बनी रही, श्रमशांति भी पूरे राज्य में बनी रही। कुछ ऐसे प्रतिष्ठान रहे जहां किसी वाजिब कारण से मालिकों द्वारा या पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण श्रमिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसका ताजा उदाहरण देने के लिए खिलाड़ी के बारे में कहना चाहता हूं। ए० सी० सी० सिमेंट के संबंध में सभापति महोदय, आप जानते हैं कि खिलाड़ी से इसका जन्म हुआ उसके बाद पचासों सिमेंट कारखानें पूरे हिन्दुस्तान में बैठा, कारखानों का जल बिछाया। आज बहाना करके कि यह कारखाना पुराना होगा उसको ताला

बंद कर दिया । इसका नतीजा हुआ। जो वहां के श्रमिक हैं कामगार हैं वहां आसपास के जो बस्ती हैं जो सिमेंट कारखानें की वजह से अस्तित्व में आयी थी आज उसका हाल भी डालमिया की तरह होने वाला है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि यह गंभीर मामला है। जपला और डालमिया हमारे सामने इसका उदाहरण है। कहीं खिलाड़ी की हालत भी उसी की तरह न हो जाय, इसको रोकना होगा। औद्योगिक प्रतिष्ठान के जो मालिक है, प्रबंधक उनकी मनमानी को रोकना होगा । उनके लिए कानून को और कड़ा करना होगा। कानून कड़ा करने से ज्यादा जरूरी यह है कि हमारे पदाधिकारी उदासीनता न बरतें। अधिक उत्साही होकर अधिक मजबूती के साथ काम करें। माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि तालाबंदी, छंटनी और बंदी के कारण मजदूरों को परेशानी होती है। सरकार उनके पुनर्वास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बना पाती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वैसे मजदूरों जिनकी रोजी-रोटी किसी कारखाने से चल रही है और उस प्रतिष्ठान के एकाएक बंद हो जाने से वे बेकार हो जाते हैं जिनके सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो जाती है। जिसका जीना दूभर हो जाता है उनके पुनर्वास का प्रोग्राम उसी तरह बनाया जाये जिस तरह बाढ़ आने पर या दुसरे दुर्भिक्ष विपदा आने पर लोगों के लिए बनाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान श्रम न्यायालय और न्यायाधिकरणों की ओर से जाना चाहता हूं। जो लेबर कोर्टस है, ट्रिब्यूनल्स हैं। बिहार में जितने लेबर प्रोब्लम्स हैं वह क्यों लंबित पड़े हुये हैं। उन मामलों का

निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। उसके ऊपर उदासीनता बरती जा रही हैं यह नहीं होना चाहिए। चूंकि उसके ऊपर मजदूरों का भविष्य टिका होता है और उन मामलों के जल्द निपटारे के लिए ही लेवर कोर्ट और ट्रिव्यूनल्स बनाये गये हैं। यह देखना होगा कि कितने मामले लेबर कोर्ट में पड़े हुये हैं, कितने लेबर कोर्ट्स में जज बहाल हैं, कितने मामले साल में दाखिल किये गये हैं और कितने मामले साल में निपटाये गये हैं।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि वर्ष 1988-89 में इनके रिपोर्ट के अनुसार 169 एवार्ड और 175 सेट्लमेंट हुये परन्तु लागू कितना हुआ यह आप देखें। सभापति महोदय, मात्र 27 एवार्ड लागू किये और 40 सेट्लमेंट लागू किये गये हैं। क्यों? यदि एवार्ड और सेट्लमेंट लागू नहीं किया जा सकता है तो उनका नाटक नहीं होना चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा श्रमिकों का शोषण हो रहा है जिन्हें बंद करना होगा।

सभापति महोदय, अब मैं औद्योग्कि प्रशिक्षण संस्थान जो बिहार में है खासकर रांची और छोटानागपुर क्षेत्र में है की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे यहां रांची में महिला औद्योगिक संस्थान है जो पुरूषों के लिए भी है वहां क्या गड़बड़ी है। महिला औद्योगिक संस्थान में मात्र तीन विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है-सिलाई, कटाई, अंग्रेजी-हिन्दी स्टेनोग्राफी का। उसमें हरिजत-आदिवासी, विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों सब मिलाकर 95 प्रतिशत आरक्षण है। जेनरल में 5 प्रतिशत महिलाओं को प्रशिक्षण में एडमिशन मिलता है। मैं मंत्री महोदय

का खासकर इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आरक्षण के अभाव में उतनी महिलाएं दाखिल नहीं हो पाती हैं और उनके अगेंस्ट में सीटें खाली रह जाती हैं और उनको भर्ती नहीं किया जाता है। जबकि अन्य वर्गों के पुरूष एवं महिलाएं उसमें प्रशिक्षण पाने लिए परेशान रहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आरक्षण कोटा किसी को दे दिया जाये लेकिन आरक्षण के कारण उन सीटों पर एडमिशन नहीं लिया जाता है और सीट्स खाली रहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यहां सरकार से मांग करता हूं कि बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी को देखते हुये रांची और छोटानागपुर क्षेत्र में एक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाये। सभापति महोदय, अब मैं इम्पलायमेंट एक्सचेंज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री चिदम्बरम आये थे। उन्होंने कहा था कि सरकार की चिन्ता है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। लेकिन मेरा कहना है कि हरिजन-आदिवासी जिनका आरक्षण हैं, रिक्तियां हैं इम्पलायमेंट एक्सचेंज के पदाधिकारी इतने उदासीन हैं कि सही आदमी का नाम नहीं भेजते हैं।

सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त करें। श्री सरयू मिश्र अपना भाषण शुरू करें।

श्री सरयू मिश्र : सभापति महोदय, यह जन कल्याणकारी राज्य है और जन कल्याणकारी राज्य में....

सभापति : सदन को यह सौभाग्य प्राप्त है कि ट्रेड यूनियन के भीष्म पितामह श्री सरयू मिश्र बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री सदानन्द सिंह : सभापति महोदय, भीष्म पितामह तो और भी हैं।

सभापति : आप नहीं न हैं।

श्री सरयू मिश्र : सभापति महोदय, यह जन कल्याणकारी राज्य है और इस जन कल्याणकारी राज्य में इस विभाग का बहुत भारी महत्व हैं। अभी हमारे मित्र श्री महावीर पासवान श्रम मंत्री हैं। इसके पहले भी मैंने 18-19 श्रम मंत्री देखा है। तो सवाल यह है कि यह विभाग का जो मांग है 31 करोड़ 86 लाख 26 हजार 500 का उस मांग का समर्थन तो करेंगे ही। लेकिन हमको लगता है कि जन कल्याणकारी राज्य में पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। सचिवालय में जो भी हों लेकिन जो फिल्म के औफिसियल्स हैं हमलोग वहीं रहते हैं, उनलोगों का चरित्र दिन-रात देखते है।

लेबर विभाग को जन कल्याणकारी होना चाहिये किन्तु आज जो मैं विभाग को देख रहा हूं तो मालुम पड़ता है कि ठीक वह इसके विपरित काम कर रहा है। मैं उत्तर बिहार से आता हूं, सभापति महोदय, आज आपका बेगुसराय भी तो औद्योगिक क्षेत्र हो गया है। उधर राइस मिल अधिक है शीशे वोइल ब्रांड मिल भी है। आजकल लेवी उठा देने से मिल खुब चल रहा है। लेवी उठा देने के लिए मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, खुशी की बात है कि कल उद्योग पर सदन में चर्चा होगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल अपना विचार व्यक्त करूं। ये जो पुस्तक आज विभाग की ओर से हमलोगों को उपलब्ध कराया गया है, इसे देखने से पता चलता है कि इसमें सिवा मिथ्या आवारण के अलावे कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, कटिहार जूट मिल बंद हो गया था, किन्तु रामाश्रय बाबू जब इसके मंत्री थे तो इन्होंने इसे चालू करवाया था। ये मोर्डनाईज मिल है और यह जूट ग्रोइंग एरिया है। इसमें घाटा लगने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन इसका मैनेजमेंट बिलकुल गड़बड़ है। माना कि लेबर विभाग से आज कंसीलेशन हुआ है लेकिन यह भी अनलिमिटेड है, इसका कोई समय सीमा होना चाहिए। इसका समरी ट्राइल होना चाहिए। मजदूर लोग गरीब आदमी होता है। नौर्थ बिहार का लेबर कोर्ट भागलपुर में है। अतः भागलपुर में इसका समरी ट्राइल होना चाहिये और कंसीलेशन का समय सीमा होना चाहिए। अभी तो मालूम होता है कि यह हनुमानजी की पूंछ की तरह वर्षों लटका रहता है। 11 सितम्बर 1985 को यह चालू हुआ और 15 दिसम्बर, 1987 को बंद हो गया। जो मिल ओटोमेटिक है उसको घाटा कैसे होगा। किन्तु कटिहार जूट मिल का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। वहां 1400 मजदूर काम करता है और वेतन उसको समय पर नहीं मिलता है।

एक बार एक कंसीलेशन में मैं भी गया था। मुख्तियार सिंह उस समय लेबर कमिश्नर थे। कंशीलेसन में कहा गया कि कुछ महीना काम दे देते हैं, आधा पेरिएड का पे दे देते हैं लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया। वर्षों-वर्षों से पेमेंट नहीं हुआ है। आपसे मिल नहीं चलता है तो उसको क्लोज कीजिये। आप केवल भिसिल बजाते हैं, मजदूर जाते है और आपकी लायवलिटिज बढ़ रही है। जब मिल चलता नहीं है तो साइरन बजाने से क्या फायदा है, लायवलिटिज बढ़ाने से क्या फायदा है, यह तो पागलपन की बात हुई। इस विभाग का संबंध इंडस्ट्रीज से भी

है। मैं कल कुछ इस पर बोलूंगा। अभी हमारा यही कहना है कि मिल नहीं चलता है तो उसको बंद कर दीजिए और मजदूरों का पेमेंट कर दीजिए। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द-से-जल्द मजदूरों का पेमेंट कर दीजिये। रह गया खेतीहर मजदूरों के बारे में। आज खेतीहर मजदूरों का कोई माँ-बाप नहीं है।

सभापति : आपके रहते हुए भी माँ-बाप नहीं है ?

श्री सरयू मिश्र : सभापति महोदय, आज लेबर को वहीं हक मिलता है जहां उसका आर्गेनाइजेशन है, नहीं तो नहीं मिलता है। आज इनटिरियर में जितने इंडस्ट्रीज है उनके मजदूरों को बोनस नहीं मिलता है। आज कानून को कोई नहीं मानता है। आज फैक्ट्री इन्सपेक्टर है, उनका अलग हिसाब-किताब है। एक वोआयलर इन्सपेक्टर होता है, साल में एक बार जाता है तसील करने के लिये और लाखों-लाख रुपया तसील कर लेता है।

सभापति : तसील का क्या मतलब होता हैं ?

श्री सरयू मिश्र : घूस लेता है और खराब वोआयलर को भी ठीक लिख देता है।

सभापति : घूस की जगह रिश्वत लिखा जाय।

श्री सरयू मिश्र : ठीक है, जो औवजेक्सनेवुल वर्ड है उसको नहीं लिखा जाय।

सभापति : या इसको स्पीड मनी कहें।

श्री सरयू मिश्र : हमें कुछ अधिक नहीं कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि कटिहार के जो जूट मिल मजदूर हैं उसका

पेमेंट यथाशीघ्र कर दें। मेरा यही आपसे मांग है कि कटिहार जूट मिल के मजदूरों का जो वर्षो–वर्षो से पेमेंट नहीं हुआ है उसका पेमेंट तुरन्त कर दें और इस मिल को यदि नहीं चलाते है तो बंद कर दें, सिर्फ भिसिल बजाने से क्या होगा। लेवर डिपार्टमेंट क्या क्षमता रखता है, वह पैसा नहीं दिला सकता है। प्राइवेट मिल से कुछ पैसा दिला भी देता है लेकिन बी० एस० आई० डी०सी० का जो यूनिट है वहां एकदम नहीं दिलाता है। फतुहा में जो स्कूटर फैक्ट्री है उसका भी यही हाल है। इससे क्या फायदा होता है। यह तो लायवलिटिज क्रियेट करके सामने लाया जाता है। हम इतना ही कह कर आसन ग्रहण करते हैं।

श्री राजो सिंह : सभापति महोदय, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की मांग जो सदन में प्रस्तुत की गयी हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, गत साल जो मांग रखी गयी थी वह 28 करोड़ के ऊपर थी और इस साल जो मांग रखी गयी है, वह 32 करोड़ रुपये से ऊपर की है। लेकिन प्रतिवेदन देखने से ऐसा लगता है कि हमारे श्रम विभाग के प्रभारी मंत्री ने पुरानी संचिका को देखने का प्रयास नहीं किया है। सभापति महोदय, आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि 1983–84 में जब श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग श्रीमती प्रभावती गुप्ता के साथ था, तो उस समय प्रतिवेदन में यह दिखाया गया था, जिसका उद्धरण आपकी इजाजत से यहां रखना चाहता हूं:

निम्नलिखित स्थानों में नये चिकित्सालय की स्थापना हेतु सरकार का आदेश प्राप्त है। भवन मिलते ही चिकित्सालय का कार्यारम्भ कर दिया जायगा–

(1) सीतामढ़ी (2) झीकंपानी (3) डुमरांव (4) बोकारो स्टील सीटी (5) बोकारो थर्मल (6) मैथम (7) मधुपुर (8) डालटेनगंज (7) खड़गपुर (10) झाझा (11) बेला (मुजफ्फरपुर) (12) तेतुलमारी।

सभापति महोदय, इस बार इन्होंने जो प्रतिवेदन दिया है उसकी भाषा भी आप देख लें। इन्होंने हू-बहू उसकी का जिर्क कर दिया है। 1983 में यह कहा गया कि 12 हौस्पीटल स्वीकृत हो गया है और सरकार की ओर से इजाजत मिल गयी है, उसमें डाक्टर पोस्ट करने जा रहे हैं। और आज भी 1983 के बाद कई मंत्री बदले, कई सेक्रेटरी और कमीशनर आये, गये, लेकिन हू-बहू वही स्थिति आज भी है। सिर्फ एक आइटम घट गया, जो पहले 12 हौस्पीटल था, वह 11 कर दिया गया। बोकारो स्टील सीटी और बोकारो थर्मल जो था उसके स्थान पर बोकारो सीटी हटाकर बोकारो थर्मल कर दिया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अगर सरकार की यही रवैया रही तो इससे क्या आप प्रगति कर पायेंगे ?

सभापति महोदय, दूसरा आइटम उदाहरण स्वरूप आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं कि इन्होंने प्रवासी मजदूर कल्याण कार्यक्रम को कार्यान्वयन करने के लिए तय किया था कि बिहार राज्य से बाहर जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनको वहां से लाकर अपने राज्य में रोजगार मुहैया करायेंगे और उनके लिए 14 आरक्षी बल तथा 2 डिप्टी क्लेक्टर के पद स्वीकृत हुए। लेकिन आज तक यह बल तैयार नहीं हुए और कोई प्रगति नहीं हुयी। हमारे मित्र माननीय सदस्य श्री पालित जी ने कई विन्दुओं की

ओर इशारा किया है, मैं भी सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आपके प्रतिवेदन में श्रमिक संघ अधिनियम 1926 का जिक्र किया गया है। बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953 का जिक्र किया गया और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 का जिक्र किया गया है । क्या आज 1923 का जमाना है और हमारे एक मित्र कह रहे थे कि श्रम एवं नियोजन विभाग में बहुत प्रगति हुयी है, क्या प्रगति आयी है ? 1923 का यह जो विधान है उसके तहत, क्या उसका संचालन हम ठीक ढंग से कर रहे हैं, क्या मजदूरों को जो हक मिलना चाहिए, वह हम उनको दिला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके लिए आप एक उच्च स्तरीय समिति बनावें, लेबर सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाइये, उसमें हमारे लेबर लीडर साथी यहां है, उनको रखिये, इसका सर्वेक्षण कराइये और हम लोगों के सुझाव के अनुसार इसमें समयानुकूल परिवर्तन करिये, आज के जमाने के अनुसार परिवर्तन करिये।

सभापति महोदय, अपने प्रतिवेदन में इन्होंने कहा है कि बेरोजगार को रोजगार देने के लिये एक कमिटी का निर्माण किया है और हमारे मित्र श्री शंभूशरण ठाकूर इस कमिटी के अध्यक्ष है। इन्होंने अपने प्रतिवेदन यह लिखा है कि –

राज्य में विभिन्न स्तरों पर फैली बेरोजगारी के निदान हेतु सरकार को सुझाव देने के लिए श्री शंभू शरण ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य नियोजन समिति का गठन किया गया है जो अभी कार्यरत है। परन्तु पिछले एक वर्ष के अन्दर समिति द्वारा एक भी बैठक नहीं बुलायी गयी हैं।

सभापति महोदय, मैं आंकड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि आपने कितने बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया है। बिहार में कुल कितने लोग बेरोजगार है, 1987 का आंकड़ा इस संबंध में प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रवेशिका से नीचे 16,19,278 लोग बेरोजगार हैं।
प्रवेशिकोत्तीर्ण 8,88,101 लोग बेरोजगार हैं।
स्नातक स्तर तक 2,10,328 लोग बेरोजगार हैं।
स्नातकोत्तर स्तर तक 4,216 लोग बेरोजगार हैं।

डाक्टर और आयुर्वेदिक डाक्टर 1391, कृषि स्नातक 664, अभियंता 2306 और ओभरसियर 15666 बेरोजगार हैं। कुल बेरोजगारों की संख्या 27,41,650 हैं। क्या इनकी यही उपलब्धि हैं। आज पढ़े लिखे लोग, डाक्टर, इन्जीनियर, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बेकार हो रहे हैं और सरकार निष्क्रिय होकर बैठी हुयी हैं। मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जितने बेरोजगार है, डाक्टर हैं, इन्जीनियर हैं, ओभरसियर हैं, एग्रीकल्चर ग्रेजूएट है उनकों सरकार रोजगार देने की व्यवस्था करें, अन्यथा आप नुकसान में पड़ने वाले हैं। आज पढ़े लिखे लोगों की अक्षौनी सेना बनती जा रही है और अपनी रोजी-रोटी की तलाश में जहां-तहां घूम रहे हैं। सभापति महोदय, आपने अखबार में देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब में कई नौजवान पकड़े गये हैं, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, इसलिए मैं स्मगलिंग का काम करता हूं। महावीर बाबू आप गरीब परिवार से आये हैं, पिछड़े परिवार से आये हैं, आपको इन लोगों के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए।

सभापति महोदय, ये बराबर यह जोर देते रहे हैं कि हम न्यूनत्तम मजदूरी दे रहे हैं। हमारे पास अनुसूचित जाति एवं जन जाति आयोग की 28वीं रिपोर्ट है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने जो लिखा है, उसको हुजूर आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं। खेतिहार मजदूर असंगठित सेक्टर में होने और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण किसी स्थाई संगठन के अभाव में मोल-भाव करने की क्षमता कम होती है। अतः उनमें अधिकांश न्यूनतम मजदूरी इत्यादि के नियतीकरण के स्तर में लाभों के लिए सरकारी तंत्र पर निर्भर करते हैं। यह सरकारी तंत्र क्या हैं? यह ब्लॉक में रहता है यह जिला में रहता हैं। वे ऐसे लोग हैं, जो न्यूनतम मजदूरी सरकार द्वारा तय है, उस मजदूरी को दिलाने में असक्षम रहते हैं चाहे उसका कारण जो भी हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सरकार इसकी छानबीन कराकर सरकार के निर्धारित मजदूरी का जो रेट है, उसके हिसाब से मजदूरी दिलाये। आज जो रुपए का अवमूल्यन हुआ है, उसके हिसाब से मजदूरी दे रहे हैं, वह 14 पैसा से भी कम होता है। आंध्र प्रदेश में 17 पैसा, गुजरात में 16 पैसा, कर्नाटक में 15 पैसा, महाराष्ट्र में 15 पैसा और पश्चिम बंगाल में 15 पैसा होता है। उसके हिसाब से सारे देश में जो फिगर है, पैसे अवमूल्यन होने के कारण हम मजदूरी भी कम देते हैं। सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए।

सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने बारे में हमारे मित्र ने जिक्र किया है। वर्ष 1974 में यह सेंक्सन हुआ और लगभग 10-11 लाख लोगों को मिल रहा है। कई सरकारें

आयी । लेबर मंत्री, श्रीमती उमा पांडेय, श्रीमती प्रभावती गुप्ता और माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जिन लोगों को रोका गया है, जिनका छूट गया है, सुरक्षा पेंशन, हम उनको दिलाने की व्यवस्था करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार बेरोजगारी भत्ता के रूप में 50 रुपया देती है कई वर्षों से। हमारे जिला के शेखपुरा और हलसी में लगभग 17-18 महीने से यह भत्ता नहीं मिल रहा हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि उसके भुगतान की व्यवस्था सरकार शीघ्र करा दे।

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बिहार समाज कल्याण बोर्ड कहता है कि हम मजदूरों को पैसा दिला रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसमें 600 महिलायें काम करती हैं और उनलोगों को 17 महीने से आजतक वेतन नहीं मिला हैं। जब उनको वेतन नहीं मिलेगा तो वे भोजन कैसे करेंगे।

सभापति : इस प्रश्न को आपने प्रारंभ में क्यों नहीं उठाया? इसको अंत में उठाया ।

सभापति : सभापति महोदय, जिन अल्पवेतन भोगी को 15-20 महीने से वेतन नहीं मिलेगा तो उनकी क्या हालत होगी। सभापति महोदय, आप देखें कि जिनको वेतन नहीं मिलता है, उसके लिए लेबर सेक्रेटरी और लेबर कमीश्नर के विरूद्ध किस

नियम के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए। माननीय मंत्री जी सरकार की प्रतिनिधि की हैसियत से डिमांड पेश कर रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जिन लोगों का वेतन 15–20 महीने से रोके हुए हैं, उनको जल्द–से–जल्द वेतन भुगतान करायें।

श्री डी० के० शर्मा : सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री ने जो श्रम विभाग से संबंध में जो मांग सदन के सामने रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रम विभाग के परिश्रम का यह सार्थक नमूना है कि वर्ष 1988 में पांच लाख चौदह हजार चार सौ बानवे मैनडेज कुल लौस रहा है जो विगत वर्षों की तुलना में आधे और तिहाई से भी कम है। श्रम विभाग का यह सफल प्रयत्न रहा है रोहतास इंडस्ट्री, जपला सीमेंट फैक्ट्री, अशोक पेपर मिल या अन्य बंद पड़े हुए कारखाने को खुलवाने में। इन कारखानों को खुलवाले के मामले में सफलता के मंजिल पर पहुंच रहे हैं और आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि मुझे 20–25 वर्षों का अनुभव प्राप्त है मजदूरों के चरण में बैठकर काम करने का। निजी प्रतिष्ठान जो खासकर एक ट्रेड स्पेशलिस्ट के हाथ में है जिनकी मंशा रहती है कि सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के आधार पर सस्ते कीमतों पर किसानों से जमीन ले ले, वित्तीय संस्थाओं से पैसा ले ले, सरकार से सस्ते कीमत पर रॉ–मेटोरियल ले लें ।सरकारी विभागों और प्रतिष्ठानों में सप्लाई करने के लिए मौलिक पोटेनशियलिटी पर अपनी मोनो पोली कायम कर ले । लेकिन उद्योग को चलाकर

राज्य को धन प्राप्त हो, राजस्व प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था वे नहीं कर पाते हैं।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री सुबोध कान्त सहाय, बिना सभापति के अनुमति दे जोड़-जोड़ से बोलना शुरू कर दिये)

सभापति : ये बिना आसन की अनुमति से बोल रहे हैं, इसलिए इनकी बातें न तो कार्यवाही में आयेगी और न हीं प्रेस में जायेगा।

माननीय सदस्य आप अपने आसन पर बैठ जाये।

सभापति (आसन से खड़े होकर) : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाये, माननीय सदस्य आप सदन की कार्य में बाधा डाल रहे हैं। मुझे भान हो रहा है कि माननीय सदस्य सदन के कार्य में बाधा डाल रहे हैं, आप सदन के कार्य में बाधा डाल रहे हैं।

माननीय सदस्य आप कृपया सदन से बाहर जाये, आप सदन के काम में बाधा डाल रहे हैं।

सभापति : माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण करें।

"सदस्य के निलम्बन का प्रस्ताव"

श्री रामशरण सिंह : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 62(3) के अन्तर्गत श्री सुबोध कान्त सहाय को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली

के नियम 63(4) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत लगातार पांच उपवेशनों तक सदन की सेवा में निलम्बित किया जाय।

सभापति : प्रश्न यह है कि–

"बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 62(3) के अन्तर्गत श्री सुबोध कान्त सहाय को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63(4) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत लगातार पांच उपवेशनों तक सदन की सेवा में निलम्बित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निलम्बन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति : माननीय सदस्य को सम्मान के साथ सदन से बाहर कर दिया जाय।

माननीय सदस्य श्री सुवोध कान्त सहाय सदन से मार्शल आउट किये गये।

वित्तीय कार्य : वर्ष 1989–90 के आय व्यवक में सम्मिलित अनुदानों की मागों पर वाद–विवाद तथा मतदान "श्रम और रोजगार"

श्री डी० के० शर्मा : सभापति महोदय, बिहार के अन्दर एक परम्परा बन गयी है कि सरकार के वित्तीय संस्थानों से लोग पैसा लेते हैं और सरकार के नीति के तहत सस्ते कीमत पर जमीन लेते हैं और मैटेरियल लेते हैं और कुछ दिनों के बाद कारखाना में ताला बंद करके और सारे वित्तीय संस्थानों के पैसे साधन और

स्रोतों को हड़पने की प्रक्रिया अपना लेते हैं। आज किसी भी कारखाने में अगर कोई श्रमिक गलत हड़ताल करता हो या कोई अनुशासन भंग करता हो तो उसके लिए पनिशमेंट की पद्धति है। उसे नौकरी से हटाया भी जाता है। मगर कोई प्रबंधक अगर अपने कारखाने के प्रति या प्रतिष्ठानों के प्रति उत्तरदायित्व का पालन नहीं करता है तो उसके लिए कोई दंड की प्रक्रिया नहीं है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने जो रिपोर्ट हमलोगों के बीच में परिचारित किया है। उसमें कुछ ऐसे उद्योग, प्रतिष्ठान हैं जिनके मालिकों के ऊपर गैर कानूनी ढंग से तालाबंदी के लिए कानूनी कार्रवाई करने का तस्कीरा है लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण नहीं देखने को मिलता है जहां मालिक के गलत करनामें के चलते अगर उसने कारखाना बंद किया गया है। आज डालमिया नगर के फैक्ट्री बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, जपला सीमेंट फैक्ट्री बंद है, कटिहार जूट मिल का कारखाना नहीं चल रहा है।

वेलट्रोन कारखाना टेलीवीजन का धनबाद में है उसको भी निजी प्रतिष्ठान के हाथों में सौपा जा रहा है। आज एक तरह की प्रक्रिया बनते जा रही है जिसमें सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं उसको निजी प्रतिष्ठान के हाथों में सौपा जा रहा है। इस मामले में मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का कायाकल्प ठीक से नहीं होता है तो उसे मजदूरों के हाथों में सौंपा जाय। मजदूरों की सहयोग समिति बनाकर उन कारखानों को चलाने का उत्तरदायित्व मजदूरों के हाथों में दिया जाय। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं वेल्ट्रौन का जो कारखाना धनबाद है उसको सरकार अपने ही अधीन रखे और अगर सरकार को अपने

अधीन चलाने की क्षमता नहीं है तो मजदूरों के हाथों में सौंपने की कोशिश करे। स्वर्गीय श्री बाबू के समय में बिहार में बहुत सारी कमिटियां बनी हुई थी जिन कमिटियों के माध्यम से बिहार के श्रमिकों के लिए एक नया रास्ता बतलाया जाता था और हिन्दुस्तान के दूसरों राज्यों ने भी उसका अनुकरण किया था। भारत सरकार ने भी उन नियमों और कनवेंशन का अनुकरण किया था। हमारे यहां एक सेंट्रल लेबर एडवाजरी बोर्ड है जो राज्य के तमाम श्रम संबंधी नीतियों का फैसला करता है और उसके बारे में परामर्श देता है लेकिन विगत 4-5 वर्षों से उसकी एक भी बैठक नहीं बुलायी गयी है। इसके बारे में मैंने तत्कालीन मंत्री श्रीमती उमा पाण्डे से भी आग्रह किया था। उसके बाद डा० विजय कुमार सिंह आए, उनसे भी मैंने आग्रह किया था और अब अपने नये प्रभारी मंत्री श्री महावीर बाबू से भी आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सेंट्रल लेबर एडवाजरी बोर्ड जो बिहार की सबसे पुरानी कमिटी है, ट्रीपाटाईट कमिटी है जिसमें मालिक, सरकार और श्रम के प्रतिनिधि होते हैं और इसमें तमाम श्रम संबंध में नयी नीति निर्धारित की जाती है। उसकी पिछले 4-5 वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई है इसलिए उसकी बैठक बुलाने की कोशिश करें और उसमें एक नयी दिशा संकेत लाने की कोशिश करें।

सभापति महोदय, पतरातू में बिहार एलाय स्टील लि० कारखाना है। वहां पर दो साल पहले 90 दिनों की हड़ताल चली थी। इसी सदन में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विन्देश्वरी दूबे ने आश्वासन दिया था। उनके आश्वासन पर हमलोगों ने हड़ताल वापस लिया था। उनका आश्वासन था कि मजदूरों की जो मांगें

हैं, उन मांगों को पूरा किया जायेगा। उस समय श्रम मंत्री श्रीमती उमा पाण्डे थी। कई बार उनसे भी मैंने जिक्र किया था कि मजदूरों की मांग मान ली जाये। नये श्रम मंत्री आए हैं इनका भी मैंने कई बार ध्यान आकृष्ट किया है लेकिन आजतक उन मजदूरों की मांगे नहीं मानी जा सकी हैं। अभी हाल ही में रांची के ज्वायंट लेबर कमीशनर ने श्रम विभाग के मुख्यालय को रिपोर्ट दिया है कि बिहार एलाय स्टील लि० कंपनी में पूरी श्रम शांति है इसलिए इस मामले में कोई चिन्ता करने की बात नहीं हैं। श्रम विभाग मालिकों से मिलकर, मालिकों से पैसा लेकर मजदूरों के हित पर कुठाराघात करने के लिए अगर इस तरह की रिपोर्ट देकर सरकार को भरमाना चाहता है कि श्रम शांति है-तो इसका मतलब है कि मजदूर संगठनों में काम करने वाले लोगों की आंखों में ऊंगली डालकर इस बात के लिए प्रयास किया जा रहा है कि फिर 90 दिनों की हड़ताल वहां पर चले। एक बार उसे बिड़ला बेचकर भागा है और अब हरलाल का बेचकर भागेगा। बिहार एलाय स्टील लि० के बारे में पांच वर्ष पूर्व फैसला हुआ था कि यूनियन का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव नहीं कराया जा सका है क्योंकि मालिक नहीं चाहते हैं कि बहुमत वाला यूनियन वहां काम करे। बहुमत वाला यूनियन काम करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हटिया कारखाने की हड़ताल 1987 में हुई। पूरे विधान सभा में एक महीने तक इसकी गुंज होता रही। पूरा सदन प्रभावित रहा। 85 दिनों तक हड़ताल चली। 10 दिन तक उसमें तालाबंदी रही। तालाबंदी के बाद केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री बेंगल राव के सामने समझौता हुआ था।

इस समझौता में हुआ था कि जिस तरह से दूसरे भारत सरकार के पब्लिक अन्डरटेंकिंग के कारखाने है, चाहे वे इस्पात में काम करने वाले मजदूर हों चाहे कोयला क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे बी० एच० ई० एल० में काम करने वाले मजदूर हों उनको जो वेतन मिलेगा, फ्रीन्ज बेनेफिट मिलेगा वही एच० ई० सी० के मजदूरों को भी दिया जायेगा। भारत सरकार के साथ बिहार सरकार ने भी समझौता किया था। केन्द्रीय प्रतिष्ठानों में जो इस्पात उद्योग में काम करने वाले मजदूर हों, कोयला क्षेत्र में हो काम करने वाले मजदूर हों उनकी समस्याओं पर उनके विवादों पर इंडस्ट्रीयल डिसप्यूट पर निर्णय करने का उत्तरादायित्व भारत सरकार के श्रम मंत्रालय पर है लेकिन इंजीनियरिंग क्षेत्र के जो कारखाने हैं और उनमें जो मजदूर काम करने वाले हैं उनके इंडस्ट्रीयल डिसप्यूट पर निर्णय देने का उत्तरदायित्व बिहार सरकार के श्रम विभाग का हैं। इस संबंध में मैंने कई बार ध्यान आकृष्ट किया। एच० ई० सी० कारखाने में पुनः जलजला हो सकता है। एच० ई० सी० के मजदूर जब जंगे मैदान में कूदते हैं तो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि सरकार किसकी है, हुकूमत किसकी है, रायफल किसकी है और लाठी किसकी है। अगर वे मजदूर हड़ताल पर फिर उतरेंगे तो सभापति महोदय, आपको मालूम है कि 1987 में 17 लाख मैन आवर्स का लौस हो गया था उसमें से केवल 14 लाख मैन आवर्स का लौस केवल एच० ई० सी० के चलते हुआ था। आज वही हालत पुनः एच० ई० सी० में होने जा रही है।

एच० ई० सी० में फिर वही हालात पैदा हो गए हैं, फिर

वहां हड़ताल होने की स्थिति पैदा हो गयी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1987 में जब हड़ताल हुआ था तो 17 लाख मैन पावर लौस हुआ था जिसमें मात्र् एच० ई० सी० के चलते 14 लाख मैन पावर लौस हुआ था। आज फिर वही हालात पैदा हो गए है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि, अनुरोध करता हूं कि एच० ई० सी० के संबंध में हड़ताल और तालाबंदी के बाद केन्द्रीय श्रम मंत्री बेंगल राव के सामने जो वार्तालाप हुआ था और जो समझौता हुआ था उसके कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार का श्रम मंत्रालय और संगठन वार्ता प्रारंभ करे और डी० ए०, सी० ए० और कोल इंडिया सेल में जो समझौता हुआ था उसके समान यहां वेतन निर्धारित कराए।

इसी के साथ एक ऊषा अल्वाय लिमिटेड है। आप जानते हैं कि सारे हिन्दुस्तान में इस्पात कारखाने में काम करनेवाले मजदूरों को समान वेतन देने का नियम विगत 10 वर्षों से लागू हैं । बिहार में भी ऊषा अल्वाय लिमिटेड अल्वाय प्लान्ट है एक पतरातू में और एक जमशेदपुर में। दुर्गापुर के अल्वाय स्टील प्लान्ट का बिहार के अल्वाय स्टील प्लान्ट के समान है, दोनों जगह एक नेचर का काम हैं, एक ही तरह का रिस्क है, एक ही तरह के स्कील्ड लोग हैं तो जो दुर्गापुर अल्वाय स्टील प्लान्ट के मजदूरों को वेतन दिया जाता है वह वेतन पतरातू और जमशेदपुर के ऊषा अल्वाय स्टील प्लान्ट के मजदूरों को क्यों नहीं दिया जा सकता हैं। मुझे इस बात की जानकारी है कि हमारे ही दल के एक भूतपूर्व विधायक जो प्रभावशाली नेता हैं और इन दोनों कंपनियों के पे रौल पर रहते हैं और उनका प्रभाव बिहार सरकार

के श्रम मंत्रालय पर भी है उसी का नतीजा है कि बिहार के ऊषा अल्वाय स्टील प्लान्ट के मजदूरों को दुर्गापुर के इस्पात प्लान्ट में लगें मजदूरों के समान वेतन नहीं मिलता है, यहां के मजदूरों को उस वेतन से वंचित किया जाता है जबकि वेतन भत्ते में भेदभाव बरतना किसी भी जनकल्याण सरकार के लिए एक बड़ा अनैतिक कार्य है। यह कितना अनैतिक कार्य है इसकी कल्पना नहीं किया जा सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि बिहार के ऊषा अल्वाय स्टील की दोनों कंपनियों के लिए जो सेल से समझौता हुआ है उसके अनुसार उनको वेतन दिया जाय।

एक सवाल मैं और उठाना चाहता हूं। रामगढ़ में बिहार फाउन्ड्री ऐंड कास्ट लिमिटेड है। वहां 1982 में 6 महीने का हड़ताल हुआ था पर 6 महीने में भी बिहार सरकार का श्रम विभाग समझौता नहीं करा सका तो वह मामला इन्डस्ट्रीयल ट्रीब्यूनल में गया और इन्डस्ट्रीयल ट्रीव्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में फैसला दिया। आपका कनसीलेशन का प्रोसिज्योर है, जुडीकेशन का प्रोसिज्योर है, आरविटरेशन का प्रोसिज्योर है और सारे मजदूर आपके कनसिलिएशन की नीति का, जुडीकेशन की नीति का, आरविटरेशन की नीति का अनुपालन करते हैं, मजदुर आपकी नीतियों में विश्वास करता है लेकिन जो ट्रीव्युनल का फैसला है उसका कार्यान्वयन राज्य सरकार का श्रम विभाग आज तक नहीं करा सका। 10 साल पहले का ट्रीव्युनल का यह फैसला है इसलिए राज्य सरकार का श्रम विभाग इस फैसले को लागू कराने की कोशिश करे। अभी भी रामगढ़ के इस कंपनी के मालिक इसको कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस फैसले को अविलम्ब लागू कराए।

अब मैं ऐसे मजदूरों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिनके चरणों में बीस पच्चीस वर्ष तक रह कर मैंने राजनीति किया है। उनके लिए मुझे 5 मिनट का समय दिया जाय।

कुछ ऐसे मजदूर हैं जो बिखरे हुए हैं जिनका कोई संगठन नहीं है जिससे वे अपनी आवाज नहीं उठा पाते। जैसे पेट्रोल पम्प पर काम करने वाले मजदूर। बिहार में कोई प्रखंड या थाना नहीं है जहां चार-पांच पेट्रोल-पंप न हों। आज रोड कम्युनिकेशन बढ़ता जाता है, ट्रांसपोर्ड की संख्या बढ़ती जाती है, हर प्रखंड या थाने में चार पांच पेट्रोल पम्प हैं, जिला और अनुमंडल मुख्यालय में तो इनकी संख्या और अधिक है लेकिन इन पंपों पर काम करनेवाले मजदूरों को कोई सुविधा नहीं है, उनके लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं है, पेट्रोल पम्प का मालिक जब चाहता है उन्हें रखता है और जब चाहता है उन्हें निकाल देता है।

उसी तरह से टेलरिंग शौप्स में काम करनेवाले टेलर हैं। उनका भी कोई संगठन नहीं हैं। इनको भी मालिक जब तक चाहता है रखता है और जब चाहता है निकाल देता है इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि इनलोगों के लिए भी सरकार कोई नीति बनावे।

होटलों में काम करने वालों के लिए नीति तो सरकार ने बनायी है लेकिन मुझे जानकारी है कि होटल मालिक की मिलीभगत के चलते मौर्यालोक होटल के मजदूरों के यूनियन के लिए इनडिपेनडेन्ट वोर्ड ने फैसला तो ले लिया लेकिन वहां राज्य

सरकार के श्रम पदाधिकारी यूनियन का चुनाव नहीं करा सके। जब आप किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को मौलिक अधिकार यूनियन चुनने का है, अपना प्रतिनिधि चुनने का है वह भी नहीं दे सकते तो यह श्रम विभाग के लिए बड़े शर्म की बात हो जाती है।

उसी तरह राज्य में रिक्सा चलाने वाले मजदूर हैं। उनका भी कोई संगठन नहीं है, वे भी बिखरे हैं और अपनी आवाज नहीं उठा पाते।

रिक्शा चलाने वाले को सरकार ने आज तक कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं कर सकी है, इनके लिए बरसात में सर छुपाने के लिए भी कोई प्रबंध नहीं किया गया है, वे अपने रिक्शा पर ही ओंघते रह जाते हैं। यह श्रम विभाग के लिए बड़ी शर्म की बात है। ये रिक्शा वाले 24 घंटा में 18/19 घंटा काम करते हैं लेकिन इनलोगों के लिए सरकार ने कौन-सी सुविधा देती हैं? इनलोगों के लिए न रहने आदि का प्रबंध है और यहां तक उनके पेसाब-पैखाना करने के लिए भी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है और न इनके लिए पीने के पानी का प्रबंध ही किया गया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी जिला या सबडिविजन या राज्य मुख्यालय है सब में उनके लिए आवास तथा पीने के पानी और पैखाना, पेशाब की सुविधा मुहैया कराये जिससे उन्हें भी जीने की सुविधा मिल सके। इसी तरह से जो मजदूर इंट भट्ठा और चिमनी में काम करते हैं और जो असंगठित हैं उनके लिए आप हर तरह की सुविधा की व्यवस्था करें। समाप्त।

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री श्रीचंद सिंह बोलें अगर आप चेयर की ओर रूख कर बोलें।

श्री श्रीचंद सिंह : सभापति महोदय, आज जो बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार का ध्यान गया जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। कौटन मिल, गया वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। गया जिला का दो-दो मिल वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। चीनी मिल भी बंद पड़ा हुआ है जिससे मजदूर बेरोजगार पड़े हुए हैं...

सभापति : आप किस डिमांड पर बोल रहे हैं?

श्री श्रीचंद सिंह : सभापति महोदय, मैं श्रम एवं नियोजन पर बोल रहा हूं जो आज मतदान के लिए सदन में पेश हैं। मैं विशेष रूप से लेबर समस्या पर बोल रहा हूं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार गया जिले के कौटन मिल और गुरारू चीनी मिल को जल्द से जल्द चालू कराये ताकि वहां के मजदूरों को बेरोजगारी से छुटकारा मिल सके। हर तरह के मजदूरों की समस्या नहीं रखी गयी है लेकिन खेतिहर मजदूर जो असंगठित है उनकी समस्या नहीं रखी गयी है । जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां 80 प्रतिशत लोग खेती पर आश्रित हैं जिसके साथ खेतिहर मजदूर भी जुड़े हुए हैं। आज यह जानना निहायत आवश्यक है कि किसानों और मजदूरों में वैमनस्यता किस कारण से हैं? इसका कारण क्या हैं सरकार इस पर उचित ध्यान दे। सरकार हदबंदी से अधिक जमीन रखनेवाले से जमीन लेकर गरीब भूमिहीनों को देती है और गरीब भूमिहीन

लोग उसपर कब्जा करना चाहते हैं जिसके चलते किसान और मजदूर में कटूता उत्पन्न हो जाती है और उन मजदूरों को उग्रवादी कहकर उसे मारा जाता है या तरह-तरह से सताया जाता है जिससे तनाव बढ़ता हैं। हाल में बिहटा के बारे में अखवारों में पढ़ा होगा। वहां भी मजदूरी के नाम पर गोली चली है। असल में भूमि को लेकर ही किसान और मजदूरों में तनाव बढ़ रहा हैं खासकर मध्य बिहार में जिसे लोग उग्रवादी का पनपना कहकर तनाव को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए कि उन मजदूरों को उचित मजदूरी जो सरकार द्वारा तय है वह मिल रही है या नहीं....

श्रीमती ज्योति : सभापति महोदय, मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर है । माननीय सदस्य ने बिहटा की जो बात कहे हैं कि वहां मजदूरी नहीं मिलने के कारण लड़ाई हुई है यह गलत है। वह मेरा क्षेत्र है। मैं निजी रूप से जानती हूं। किसान सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी दे रहे हैं और देने को तैयार है। मजदूर वहां मनमानी मांग रहे हैं इसलिए यह झगड़ा झंझट शुरू हो गया है। ये मजदूर असामाजिक तत्वों द्वारा बहकाये जा रहे हैं।

सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य आप बोलें।

श्री श्रीचन्द सिंह : सभापति महोदय, मैं एक बात और प्रभारी मंत्री से मांग करता हूं कि जो लेबर सोसाईटियां बनती हैं गांवों में, जिलों में मजदूरों की, गरीबों की, हरिजनों की उसको चलानेवाले कौन लोग होते हैं? वे माफिया होते हैं, जो माफिया

गांवों में बैठे हुये हैं, पंचायतों में बैठे होते हैं उसकी बात सदन में नहीं आयी है । वे उचक्के होते है । जो जिन्दा आदमी का जिन्दा शिकार कर रहे हैं, इनके विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं उनसे जांच करावें और जो ठेकेदारी चलती है वह लेबर के हाथ में जाती है या नहीं ?

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो लेबर गांवों में काम कर रहे हैं और इनके जो श्रम निरीक्षक हैं वे पटना में बैठकर प्रतिवेदन तैयार करते हैं, गया में बैठकर प्रतिवेदन तैयार करते हैं या बेतिया में बैठकर प्रतिवेदन तैयार करते हैं। आप हम सभी लोगों की मंशा है कि मजदूरों को उचित मजदूरी मिले लेकिन ऐसी बात देखने में नहीं आती है। बहुत से हमारे माननीय सदस्य बोल चुके हैं और सरकार की जो प्लानिंग है वह डिफेक्टिव है। अभी हमारे भाई साहब शर्मा जी बोल रहे थे हमारे गरीब मजदूरों के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में...।

सभापति : शान्ति, शान्ति, यहां कोई भाई साहब नहीं हैं बल्कि सभी माननीय सदस्य हैं।

श्री श्रीचन्द : स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कामगारों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया था वह आज नहीं रह गया है लेकिन हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी गरीब, हरिजन, मजदूरों के लिए सोच रहे हैं और सही कदम उठा रहे हैं और सही माने में उनका उत्थान कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

मंगलवार, तिथि 18 जुलाई, 1989 ई०

श्री माधव लाल सिंह : सभापति महोदय, आज श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग का बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है मैं उसके संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति : मजदूर अंचल के जाने–माने मजदूर नेता बोल रहे हैं आपलोग जरा गौर करें।

श्री माधव लाल सिंह : सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि दिनांक 26 जनवरी, 1987 को तो तेनुघाट थर्मल पावर का शिलान्यास करते हुये तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री दूबे जी ने घोषणा किया था कि यहां एक आदिवासी, हरिजन, पिछड़ी जाति के लिए आई० टी० आई० खोलने का आदेश दूंगा । तेनुघाट में आई० टी० आई० स्कूल खुलेगा । लेकिन वहां आई० टी० आई० स्कूल आज तक नहीं खुला हैं। जगह, जमीन स्कूल के लिये मिल गयी है लेकिन अभी तक आई० टी० आई० स्कूल नहीं खोला गया है जिसके चलते आज वहां के हरिजन, आदिवासी पिछड़ी जातियों में काफी असंतोष हैं।

सभापति जी, आज जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हैं, वह मात्र कोनार परियोजना और तेनुघाट परियोजना में ही मिलती, चूंकि वहां के अध्यक्ष ने काफी कड़ाई से पालन करवाया था। लेकिन अन्य परियोजनाओं में न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को नहीं मिलती हैं। मैं श्रम मंत्री से मांग करता हूं कि जहां भी मजदूर कार्यरत हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी दिलवाने की व्यवस्था करें। जो ठीकेदार न्यूनतम मजदूरी नहीं देते है उनपर

कार्रवाई करें। जहां भी प्रतिष्ठान हैं, वहां लेबर नेता जो हैं, वे वही हैं, जो अपनी बीबी के नाम पर, बेटा के नाम पर ठीकेदारी करते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं।

श्रम मंत्री जी देखें खासकर छोटानागपुर में, रांची औद्योगिक क्षेत्र में लेबर लीडर हैं, वे मजदूरों के बीच कर्ज लगाते हैं और ठीका का काम करते हैं। ये ठीकेदार दो तरह के रजिस्टर रखते हैं। एक रजिस्टर में जो न्यूनतम मजदूरी होती हैं, उसका रेकार्ड रखते हैं और शो करते हैं, और दूसरे रजिस्टर में जो मजदूरों को भुगतान करते हैं, उसको अपने निजी खाते में रखते हैं। श्रम मंत्री को मालूम हैं कि हर जगह, हर प्रतिष्ठान में इनके लेबर इन्सपेक्टर से लेकर लेबर कमिश्नर तक हैं और उनको इसकी देख-रेख रखनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सभी ठेकेदारों के यहां से इन सबों को माहवारी घूस बंधा हुआ है। छोटानागपुर में खासकर औद्योगिक क्षेत्र में कहीं भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। केवल थरमल पावर स्टेशन कोनार डैम और तेनुघाट परियोजना में चूंकि यहां पर के० बी० सक्शेना ने जांच पड़ताल किया था और तय किया था, इसलिए वहां पर न्यूनतम मजदूरी मिलता है और कही नहीं मिलता है। मैं तो सुझाव दूंगा कि आप पुनः सभी प्रतिष्ठानों की जांच श्री सक्सेना को दें और तब न्याय मजदूरों को आप दिला सकते हैं।

सभापति जी, ये कहते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम बेरोजगारों को देना चाहते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा है। इसकी जांच आप ब्लौक स्तर से करा लें। मेरा सुझाव है कि आप

बी० डी० ओ० के माध्यम आप ब्लौक स्तर से करा लें। मेरा सुझाव है कि आप बी० डी० ओ० के मध्यम से इसको करावें। लेंबरों की मांग को लेकर आई० एन० टी० में बातचीत चल रही हैं, लेकिन कुछ निदान नहीं हो सका। आपके लेबर सेक्रेट्री ईमानदार व्यक्ति हैं, उनसे इसकी जांच करावें।

लेकिन उचित मांग इनलोगों को नहीं मिला, आज भी बात–चीत चल रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे आई० एल० के मजदूरों की तरफ ध्यान दें, आज आई० एल० के मजदूरों की जो हालत है, जिस कष्ट से अपना समय बीता रहे हैं, जो परेशानी झेल रहे हैं, उसकी तरफ सरकार ध्यान दे और उनलोगों की उचित मांगों को दिलावे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वहां के हरिजन, आदिवासियों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा हैं, एक्सप्लोसिव के पानी से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां के हरिजन, आदिवासियों को उनके बर्बाद हुए फसल का मुआवजा शीघ्र दिया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वहां के हरिजन, आदिवासियों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, एक्सप्लोसिव के पानी से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। उनलोगों को फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। वहां के डी०सी०, एस०डी०ओ०, अंचलाधिकारी, सबों ने रिपोर्ट वहां से भेजी है लेकिन सचिवालय में आठ साल से फाइल पड़ी हुई है और हरिजन, आदिवासियों

क्रमशः

को उनके बर्बाद हुए फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां के हरिजन, आदिवासियों को उनके बर्बाद हुए फसल का मुआवजा शीघ्र दिया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

एस० पी० राय : सभापति जी, सबसे पहले मैं, माननीय मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। बहुत बातें सदन में आयीं हैं और बिहार में अभी जो श्रम विभाग द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं श्रम न्यायालय की बात कहना चाहता हूं। श्रम न्यायालय बिहारा सरकार की ओर से गठित किया जाता है लेकिन आज इसकी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हो गयी है। श्रम न्यायालय के अध्यक्ष मनोनीत किये जाते हैं, इसमें बहुत समय लगता है। गत वर्ष बोकारो श्रम न्यायालय के अध्यक्ष मनोनीत किये गये लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया, कागज खरीदने के लिए भी पैसा नहीं दिया गया जिससे कि वे काम कर सकें। कई महीनों से उनका टर्म पूरा हो गया है लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। आज यह हालत है श्रम न्यायालय की। सभापति जी, वर्षों, महीनों लड़ाई लड़ने के बाद, बहुत परेशानी उठाने के बाद मजदूरों का केस, उनका मामला श्रम न्यायालय में भेजा जाता है और उन न्यायालयों में अगर कोई न्यायकर्त्ता न हो, कोई शक्ति न हो तो कैसे मजदूरों को इन्साफ मिल सकता है ?

दुसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि हमारे मानीय सदस्य, श्री डी० के० शर्मा ने बताया, स्व० अनुग्रह बाबू के वक्त इन्डीपेन्डेन्ट बोर्ड का निर्माण हुआ। यह बात सही है कि पूरे देश में यह एक अभूतपूर्व कदम था लेकिन आज इसका दुरूपयोग इतना हो गया है कि मजदूरों की भलाई के बदले, मजदूरों की अच्छाई के बदले, उनके गले में अभिशाप बन कर रह गयी है। मजदूर चुनाव चाहते हैं लेकिन चुनाव नहीं हो पाता है। युनियन का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग करता है लेकिन आपने नियम बनाया है कि जो सेन्टर से ऐफिलिएटेड रहेगा, उसको लेंगे।

आप देखेंगे कि 17 वर्षों से, 18 वर्षों से बिजली बोर्ड के यूनियनों के बारे में इनडिपेन्डेन्ट बोर्ड फैसला नहीं कर सका। वैसे बोकारो और हाटिया के बहुत से यूनियनें हैं जिसका मेनशन मैं करना चाहता हूं। आपके प्रतिनिधि दो-दो बार चुनाव लड़ते हैं और बहुत बेइज्जती के साथ उनका जमानत भी जप्त हो जाता है। उसको सेन्टर रजिस्ट्रेशन करता है। और सेन्टर में ऐसे बड़े-बड़े नेतागण जो फाइव स्टार होटलों में जानेवाले हैं, वे इनका प्रोटेक्शन देते हैं, यह बहुत ही शर्म की बात हैं। हम मांग करते है कि इनडिपेन्डेन्ट बोर्ड को आज से और अभी से समाप्त करना चाहिए। आज अनुग्रह बाबू की आत्मा में दुःख होगा जिन्होंने सभी यूनियनों को वे भोलेन्टरीली रजिस्ट्रेशन करना चाहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा हैं। इस तरह आज सारे मजदूरों का शोषण हो रहा हैं। मैं इसकी ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात ट्रेनिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि आपके यहां जितने पोलिटेनिक संस्थाए हैं उनमें मेटलीस्ट एवं ट्रैक्टर मेकानिक की पढ़ाई एवं प्रशिक्षण नहीं हो रहे हैं। आज नौजवानों को इसकी आवश्यकता है। यही कारण है कि इन नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती है। उनके अभिभावक बहुत उम्मीद करते हैं और आशा लगाये रहते हैं कि उन्हें नौकरी मिलें लेकिन इसके अभाव में दूसरे प्रांतों से लोगों को लाकर नौकरी देनी पड़ती है। हमारे यहां जरूरत है मेटलीस्ट और ट्रैक्टर मेकेनिकों की। हैवी इंजिनियरींग में बी० सी० सी० एल० में इसकी आवश्यकता हैं। मैंने इसे बार-बार इस विधान सभा में बोला है और आज तीसरी बार बोल रहा हूं। आज हमारे नौजवानों को इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसकी यहां आवश्यकता है, हमारे नौजवान काम कर सकते हैं। हमारे यहां पोलिटेकनिक में इसके लिए पढ़ाई होनी चाहिए और जब इसकी पढ़ाई होगी तो दूसरी जगहों से लोगों को नहीं लाना पड़ेगा। इसमें सुधार की आवश्यकता हैं।

सभापति महोदय, सेन्ट्रल गोर्वनमेंट का श्रम विभाग है और बिहार सरकार का श्रम विभाग है। जितने उद्योग से संबंधित विवाद लंबित है उसके बारे में आपको सुनकर अश्चर्य होगा कि इस तरह के विवाद के मामले की सुनवाई बारह वर्षों तक भी नहीं होती हैं। यहां तो बारह वर्षों में उसका रेफरेन्स होता हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समझौता पदाधिकारी प्रायः सभी जिलों में हैं। उनको इसके लिए एक निर्देश जारी होना चाहिए इसके लिए कम

से कम एक समय निर्धारित होना चाहिए ताकि जल्द से जल्द इन विवदों का फैसला हो जाय। सेन्ट्रल गर्वनमेंट ने यह तय किया है कि कोई मजदूर जब विवाद उठायेगा तो उसे श्रम न्यायालय में भेज दिया जायगा या रिजेक्ट कर उसे बता दिया जायेगा लेकिन ग्यारह-ग्यारह वर्षों तक इस पर कुछ नहीं होता हैं। सभापति जी, यह बात सिर्फ हाउस का ही नहीं है, फिल्ड का भी हैं। माननीय श्रम मंत्री इसपर ध्यान दें, वे ध्यान नहीं देते हैं, कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं।

सभापति महोदय, इस सदन में मिनिमम वेज की बात हुई हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मिनिमम वेज बनाया गया है वह मजदूरों के काम को देखकर नहीं और जो मिनिमम वेज बनाया गया है वह मालिकों को देखकर। यहां 17.85 पै० मिनिमम वेज को औपरोटिव सेक्टर में देंगे, यह बड़ा हस्यास्पद बात है। कोओपरेटिव सेक्टर तो कोई काम विशेष तो नहीं बताता। यह प्राइवेट कोओपरेटिव हो सकता हैं।

कोई कारखाना चलाता है, कोई मिट्टी का काम करता है तथा कोई दूसरा काम करता है, तो उसके काम के अनुसार ही मिनिमम वेज होना चाहिए। इससे यह बात परिलक्षित होता है कि बिहार का श्रम विभाग थोड़ा भी सोचना नहीं चाहता कि कौन मजदूर कितना जोखिम का काम करता है, कितना स्कील का काम करता है, कितना शारीरिक श्रम का काम है और उन मजदूरों की तनाख्वाह क्या होनी चाहिए। इसके लिए यह भी बात नहीं उठना चाहिए कि सेन्ट्रल गर्वनमेंट और दूसरी सरकारों

ने क्या तय किया है। अभी सूत मिल पेंडोल एक कॉपरेटिव सेक्टर में है, इसलिए वहां के मजदूरों को 17 रुपया 85 पैसा दिया जाय, जबकि भारत सरकार में 22 रुपया 50 पैसा मिनिमम वेज है और यहां यह बात नहीं हुई। इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री से कहना चाहता हूं कि जो मिनिमम वेज आपने बनाया हैं, वह जल्दबाजी में बनाया गया हैं, शायद मंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया हैं। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि माननीय श्रम मंत्री जी इसको पुनः देखें और विचार करें।

सभापति महोदय, आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात आप करते हैं, लेकिन आज बिहार से लाखों मजदूर जो दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं, उनका हालत आज क्या हैं, उसको देखा जाय। ये मजदूर आज किन इलाकों से जाते हैं, वहां की सामाजिक परिस्थिति क्या बन गयी है, इसको आप देखें। सामाजिक परिस्थिति आज क्या बन गयी है, जिसके कारण यहां के मजदूरों को आज दूसरे प्रांतों में जाना पड़ रहा है। यहां पर सभापति महोदय, मिनिमम वेज का जो आज नियम हैं, उसका पालन नहीं होता है। वहां पर आतंकवाद और दमन के नाम पर उनका दमन किया जाता है, इसलिए वे लोग रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रांतों में जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सही ढंग से इस ओर ध्यान दें, जिससे कि मजदूरों को अपनी मजदूरी का उचित मजदूरी मिल सके। सभापति महोदय, अब मैं स्वनियोजन योजना के संबंध में सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों को उठाना चाहती है, इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं सरकार इस बात का आंकड़ा रखें कि किन इलाकों

से कितने लोग प्रवासी मजदूर बनकर कहां गये, यह आंकड़ा सरकार उपलब्ध करें। सभापति महोदय, प्रवासी मजदूर बनकर आज हजारों लाखों लोग बिहार से आज बाहर जाते हैं और आज हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर लगी रहती हैं। इसलिए मैं बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वैसे इलाकों में स्वनियोजन कार्यक्रम बहुत जोर-जोर से लागू किया जाय। ऐसा ना हो कि लाचार होकर मजदूर नेक्सनलाईट का रास्ता अपना लें, हथियार उठा लें। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि वे इसको देखें।

सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाल श्रमिकों के बारे में। इस संबंध में बहुत सारे कानून बनाये गये हैं। सभी लोग कहते हैं कि उनका शोषण होता है, लेकिन सभापति महोदय इसी विधान-सभा में माननीय सदस्यगण बैठे है वे जानते है कि जो कैंटीन है, उसमें 20-25 बाल श्रमिक कार्य करते है, लेकिन उनको देखने वाला, उनकी हिफाजत करनेवाला कोई नहीं हैं। इसको कितना तनखवाह मिलता है, ये लोग कितना घंटा काम करते हैं, उनकी समस्या क्या हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं हैं। क्या इससे हम समझे कि श्रम विभाग चुपचाप ठंस मारे बैठा हुआ है, इसलिए माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें। इन्हीं के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश लाल : सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री ने जो मांग सदन में पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, कई मुद्दों पर हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है। मुख्य मुद्दा यह है कि बिहार जैसे प्रांत में जिसके बारे में चर्चा तो हम करते हैं लेकिन मूल रूप से इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, इसकी प्रगति के लिए हमारी सरकार हमारे माननीय सदस्य तथा स्वयं आप भी निश्चित रूप से चिंतित रहते हैं। जिन वास्तविक बातों की तरफ हमारा ध्यान जाना है...

सभापति : माननीय सदस्य, श्री ओ० पी० लाल जी। दुनिया कहती है कि श्री एस० पी० राय पूरब हैं तो आप पश्चिम हैं।

श्री ओम प्रकाश लाल : आप क्या कहते हैं हुजूर।

सभापति : मैं तो दोनों को एक ही स्थान पर पाता हूं।

श्री ओम प्रकाश लाल : आप जो कहते हैं वही सहीं है, और कुछ भी सही नहीं है। सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि निश्चित रूप से यह प्रश्न है कि मजदूर और प्रबंधन का सामंजस्य होना चाहिए। जहां-जहां मजदूर काम करते हैं चाहे प्रबंधन सरकारी हो या किसी मालिक द्वारा चलाया जाता हो मरजी जब उनकी होती है कोई एक बहाना बनाकर बंद कर देते हैं। इस बातों को ध्यान में रखते हुये हमारे युवा प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने हमारी लोकप्रिय कांग्रेस सरकार ने, केन्द्रीय नेताओं ने, बिहार सरकार के नेताओं, पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने इस बात की तरफ ध्यान दिया कि मैनेजमेंट में मजदूरों को वर्क पाटिसिपेशन होना चाहिए। वर्कर्रर्स पाटिसिपेशन इन मैनेजमेंट होना चाहिए। हमारी बिहार सरकार के श्रम विभाग ने निश्चित रूप से इस दिशा

में कार्रवाई नहीं की है नतीजा यह है कि मैनेजमेंट जब चाहता है तालाबंदी कर देता है। यूनियन का बहाना बनाकर, कभी संगठन का बहाना लगाता है, पैसे की कमी का बहाना लगाता है तो कभी घाटे का बहाना लगता है। अतः मेरा आग्रह है कि निश्चित रूप से मैनेजमेंट में मजदूरों का पार्टिशिपेशन होना चाहिए, यह मेरी पुरजोर मांग है। जो कागज पर है उसे धरती पर भी उतारना चाहिए। सभापति जी, जैसा कि आसन की तरफ से इशारा हुआ है और माननीय सदस्य, श्री एस० पी० राय ने बाल श्रमिकों की बात कही। बाल श्रमिक के तरफ ध्यान देना आवश्यक है। बाल श्रमिकों की कोई सुरक्षा नहीं है। जैसा कि राजो बाबू ने कहा उनके लिए अस्पताल के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुयी है। अस्पतालों में डाक्टरों को रखना होगा। मैं श्रम मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना चाहूंगा कि पूरे देश में लोकतंत्र एक हैं। पूरे देश का बिहार एक हिस्सा है। बिहार में जो मजदूर काम करते है उसका बिहार सरकार के श्रम विभाग के माध्यम से देखा जाता हैं। जो मजदूर काम करते उनकी मजदूरी कम है। कहीं 15 रुपया कहीं 20 रुपये है। केन्द्र सरकार के माध्यम से जो मजदूर काम करते हैं उन्हें रोज 30-40 रुपया प्रतिदिन मिलता है। केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय के अधीन कोई प्रतिष्ठान है और वहां मजदूर काम करता है और इस बीच उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 से 4 लाख रुपया कम्पनसेशन के रूप में मिलता हैं लेकिन बिहार सरकार के श्रम विभाग के अधीन जो काम चल रहा है यदि उसमें काम करने वाले श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसे 15-20 रुपये भी नहीं मिल पाता है। हजार दो हजार की

बात क्या कही जाय। एक मजदूर मिट्टी का काम करता है और मिट्टी में दब कर मर जाता है तो बिहार सरकार का श्रम विभाग द्वारा 5-10 हजार भी मुआवजा नहीं मिलता है जबकि कोयला खान में काम करते हुये यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे 2-3 लाख रुपये मिलते है। इस तरह दुराव की नीति है। जैसा कि माननीय सदस्य, श्री एस० पी० राय ने कहा कि जब मजदूर अपनी मांग का लेकर उग्र होता है तो दूसरे तरह से डील किया जाता है। दिहात के मजदूरों को श्रम विभाग के तरफ से निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिये। श्रम विभाग के पदाधिकारी बराबर निरीक्षण करते रहे उनके कल्याण की बात सोचते रहे तो निश्चित रूप से उग्रवादी शक्तियां जो उठ रही हैं और श्रमिकों की जो मांग है उसको दबा सकते है।

सभापति जी, अब मैं धनबाद जिला के बारे में कहना चाहता हूं। धनबाद जिला एक औद्योगिक जिला है जहां बोकरो स्टील कारखाना, सिंदरी फर्टिलाइजर कारखाना, मैथन, डी०वी० सी० आदि सभी कारखाने कार्यरत हैं। टुंडी, बाघमारा और चास जैसे इलाके हैं। वैसे इलाके में पोलटेकनिक की व्यवस्था हैं। पुरूष पोलटेकनिक की व्यवस्था है। वहां जो काम करने वाले लोग हैं वे कई पुश्त से कई जेनरेशन से काम कर रहे हैं लेकिन उनकी अपनी जमीन नहीं है सरकारी आवास में रहते हैं। उनके पितामह, पिता और पुत्र रहे। जब वे पोलटेकनिक में एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके बच्चों से कहा जाता है कि आवासीय प्रमाण पत्र लावें। जो वहां के लड़के-लड़कियां स्कूल से लेकर कॉलेज की शिक्षा प्राप्त किये उनसे कहा जाता है कि रेसिडेशियल

सर्टिफिकेट लायें। रेसिडेशियल सर्टिफिकेट भी कैसा ? उनसे कहा जाता है कि उसके लिए जमीन होनी चाहिए वह भी 1922 में जो पर्चा होगा पूर्वजों के नाम होगा उस आधार पर रेसिडेशियल सर्टिफिकेट मिलता है। इससे वहां के बड़े समुदाय में फरस्ट्रेशन है। इसपर श्रम विभाग को विचार करना चाहिए।

सभापति जी, पूरा बिहार प्रांत में धनबाद एक ऐसा क्षेत्र है जिसे निश्चित रूप से औद्योगिक जिला माना जाता है। वहां महिला पोलटेकिनीक की व्यवस्था होनी चाहिए। कोयलयरी में काम करने वाली लड़कियां हजारों की संख्या में काम करना चाहती है। लेकिन पोलटेकनिक की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रेनिंग नहीं मिलती है जिसके चलते हजारों लड़कियां पढने लिखने के बाद बेकार है। उनके लिए पोलटेकनीक की व्यवस्था हो जाय तो हमारे समाज में दहेज की जो मांग है उसको दबा सकते है। ऐसी स्थिति में मेरा मांग होगा कि पोलटेक्नीक की व्यवस्था महिलाओं के लिए होनी चाहिए।

सभापति जी, इसके साथ-साथ अब मैं वृद्धावस्था पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं। आपके क्षेत्र के और माननीय सदस्यों के कंस्टीच्युरेंसी के लोग देखते होंगे कि प्रखंड कार्यालय में काफी संख्या में वृद्धा लोगों की भीड़ लगी रहती हैं और लोग खुशामद में लगे रहते हैं कि हमारा वृद्धा पेंशन करा दीजिये। लेकिन अभी तक वृद्धा पेंशन के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिन्देश्वरी दूबे, श्री चन्द्रशेखर सिंह और कई पिछली सरकारों ने आश्वासन दिया था कि वृद्धा पेंशन सभी योग्य लोगों को मिलेगा लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई

है। वृद्धा पेंशन देने के लिए श्रम विभाग को निश्चितं रूप से कार्रवाई करनी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग का समर्थन करंता हूं।

श्री रामसेवक हजारी : सभापति महोदय, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण की जो मांग है वह बता रहा है कि इस राज्य के किसी न किसी रूप में 71-72 प्रतिशत आबादी इस विभाग से प्रभावित है। लगभग 32 करोड़ की मांग है। मांग ही बता रहा है कि यह सरकार इस विभाग के प्रति कितनी जागरूक है।

सभापति महोदय, ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का प्रश्न है। इतनी बड़ी आबादी और वहां 88-89 में मात्र 27 शिविर इस राज्य में चलाया है। 89-90 में 40 प्रशिक्षण शिविर का लक्ष्य है। क्या सरकार इस रफ्तार से जो ग्रामीण श्रमिक है उनकी जो दिक्कते हैं, कठिनाइयां है उनको जो प्रशिक्षण देना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते है, क्या इस आधार पर सरकार कितने दिनों में सफलता पा सकती है? सरकार की क्या प्रगति हो सकती है?

सभापति महोदय, इनके श्रम विभाग में श्रम निरीक्षक है, लेकिन कहावत है कि देशी मुर्गी विलायन्ती बोल। बहुत कम ही मजदूर है जिससे ये किसानों पर मुकदमा करा पाते है। अगर किसानों से झगड़ा होता है तो मजदूर श्रम निरीक्षक के यहां जाते है। लेकिन ये मुकदमा नहीं कराना चाहते है। अगर मुकदमा होता है तो उसे ये समझौता करा देते है या वह हार जाता है। लेकिन किसानों के साथ उनकी दुश्मनी ठन जाती है। इसका नतीजा आपको देखने को मिला था नोनी और नगमा में। वहां पर

किसान और मजदूरों का झगड़ा हुआ था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विषमता मिटना चाहिए। जो सम्पन्न किसान है और उनके यहां जो झुंगी झोपड़ी में रहता है और उनका खेत जोतता है, उसे वे बंधुआ मजदुर समझते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि जो मजदूर सुखी सम्पन्न किसान के बीच झुंगी-झोपड़ी में रहते हैं, उनको सुविधा और सुरक्षा प्रदान किया जाय।

सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनके तथा उनके बाल बच्चों के लिए उन्हें एक कार्ड दिया जाय, जिससे उनको चिकित्सा सुविधा मिल सके।

सभापति : आपका समय समाप्त हुआ, आप कृपया बैठ जायें।

श्री सत्य नारायण प्रसाद : सभापति महोदय, श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए मंत्री जी ने जो मांग रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। किसी भी देश और समाज की उन्नति के लिए, किसी भी प्रतिष्ठान की उन्नति के लिए श्रम की जरूरत होती हैं। इसमें स्कील्ड लेबर और नन स्कील्ड लेबर दोनों की जरूरत होती हैं। यह खुशी की बात है कि मजदूरों की भलाई की ओर सरकार का ध्यान गया है। यही वजह है कि श्रम एवं रोजगार विभाग के बजट में हमारी सरकार द्वारा प्रति वर्ष क्रमशः वृद्धि देखने को मिलती है-

वर्ष 1987–88 में 24 करोड़ 59 लाख 57 हजार 200 रुपया का बजट था, वर्ष 1988–89 में 28 करोड़ 07 लाख 72 हजार 700 रुपया का बजट था, वर्ष 1989–90 में 31 करोड़ 86 लाख 26 हजार 500 रुपया का बजट है, जो मंत्री जी ने अभी सदन में रखा है। सभापति महोदय, राज्य के विभिन्न जिलों में नियोजनालयों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष में नियोजन तहत निम्न प्रशंसनीय आंकड़े देखने को मिलते हैं–

वर्ष 1985 में 11 हजार 200, वर्ष 1986 में 22 हजार 700, वर्ष 1987 में 20 हजार 500, वर्ष 1988 में 18 हजार 700 और वर्ष 1989 में 19 हजार 800 के लगभग नियोजन किया गया है। यह खुशी की बात है। वर्तमान सरकार जो श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह के नेतृत्व में गठित हुआ है और यह अल्प समय में ही काफी प्रशंसनीय कार्य किये हैं।

इन्होंने अपने अल्प अवधि में ही 3,176 व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध कराया है तथा 1,62,905 बेरोजगार युवकों को अनियोजित संकेतिक भत्ता के तहत चयन किया है। जिन्हें 100 दिनों के अन्दर 6 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया है।

सभापति : कुछ आप अपने क्षेत्र के बारे में कहिये।

श्री सत्य नारायण प्रसाद : सभापति महोदय, आपके सलाह के अनुसार अब मैं अपने क्षेत्र की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं वह कटिहार जिला है और वह जूट

उत्पादक क्षेत्र में आता है। जूट उत्पादक क्षेत्र में एक बहुत ही उत्तम आधुनिकिरण के तहत एक जूट मिल यहां है जो जूट मिल 11 सितम्बर 1985 को 10 वर्ष के लीज पर वी० एस० आई० डी० सी० के प्रबंधन में चलाया जा रहा था लेकिन यह दुःख की बात है कि 15 दिसम्बर 1987 को कच्चे माल की आपूर्त्ति के अभाव में बंद हो गया। उसका बंद होने का कारण खासकर मैनेजमेंट था जिसकी सूचना अभी-अभी हमारे पूर्व के वक्ता माननीय सदस्य श्री सरयू मिश्र ने दी है। उस मिल में 2400 मजदूर कार्यरत हैं। उन मजदूरों को विगत 8 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हुआ हैं। सभापति महोदय, वह मिल पूर्ण रूप से बंद नहीं है। सरकार प्रतिदिन उस मिल में सायरन बजाती है, मजदूर हाजरी बनाते है लेकिन पारिश्रमिक भुगतान नहीं हुआ है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि 1400 मजदूरों का पारिश्रमिक जो विगत 8 महीने से पड़ा हुआ है उसका भुगतान किया जाय। साथ-साथ 1400 मजदूरों के परिवारों को रोजी-रोटी मुहैया उपलब्ध कराने के लिए उस मिल को पूर्व की तरह चलाया जाय। सभापति महोदय, हमारे पूर्व के वक्ता माननीय सदस्य श्री जयकुमार पालित और माननीय सदस्य श्री शर्मा जी ने यह बात रखी है कि असंगठित मजदूरों के हक के बारे में सरकार को ध्यान रखना चाहिए। रिक्शा चालकों के लिए सेल्टर की व्यवस्था जिला मुख्यालय में, अनुमंडल मुख्यालय में और प्रखण्ड मुख्यालय में होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों से साथ, आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए आपका आभारी हूं तथा सरकार की मांग का समर्थन करता हूं।

मंगलवार, तिथि 18 जुलाई, 1989 ई०

श्री चन्द्रशेखर दूबे : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति जी, श्रम की बहुत बड़ी महिमा है। श्रमिक अन्न उपजाकर सारी दुनिया को अन्न खिलाता है। श्रमिक गाय-भैंस पालकर सभी को घी-दूध खिलाता है। श्रमिक विद्युत का उत्पादन कर, कोयला का उत्पादन कर पूरी दुनिया को, देश को रोशनी देता है लेकिन उन श्रमिकों का जीवन का स्तर गया है, उनको क्या हम देते है इस पर सभापति महोदय गौर करना होगा। जो श्रमिक अन्न उपजाता है और पूरी दुनिया को अन्न खिलाता हैं वह श्रमिक भूखा रह जाता है। जो श्रमिक कोयला का उत्पादन कर, विद्युत का उत्पादन कर पूरे देश को रोशनी देता है वह श्रमिक अंधेरे में रहता है। जो श्रमिक रंग-विरंगे वस्त्र तैयार करता है वह श्रमिक नंगा रह जाता है। इस पर हमलोगों को गौर करना होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको पलामू जिला की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला में 25 प्रखंड हैं, बहुत बड़ा जिला है लेकिन मात्र एक जपला सीमेंट फैक्टरी हैं। सभापति महोदय, आज जपला सीमेंट फैक्टरी के हजारों मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं और यही कारण है कि पलामू में इतने अपराधकर्मी हो गये है और इतना अपराध बढ़ गया है। इसलिए मेरी मांग है कि जपला सीमेंट फैक्टरी को जल्द खोला जाय। वहां पलामू में केमिकल फैक्टरी है जिससे प्रदूषण फैलता है। सभापति महोदय, आपको पता है कि वहां 144 मजदूर को वहां के मैनजमेंट ने छटनी कर दिया है जिसके चलते

मजदूरों में हाहाकार है। सभापति महोदय, पलामू में बिहार मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेसन का काम चलता है लेकिन वहां मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। सभापति महोदय, बी०एम०डी०सी० के अधिकारी ने आज से 10 वर्ष पहले फैसला लिया था कि मजदूरों को सिर्फ 12 रुपया मजदूरी दिया जाय और आज भी वहां के मजदूरों को सिर्फ 12 रुपया दिया जाता है। वहां न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है । सभापति महोदय, बी० एम० डी० सी० में हजारों मजदूर 10-12 साल से खट रहे है लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया जाता है और वे 12 वर्षों के बाद भी केजुअल के रूप में काम करते हैं। सभापति महोदय, इसी तरह जितने माइन्स में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी यही स्थिति हैं। सभापति महोदय, भवनाथपुर के मजदूर 5 साल से कनटेक्ट बेसिस पर काम करते हैं, लेकिन वहां खदान का मशीनकरण किया जा रहा है जिसके चलते 20 हजार मजदूर को छंटनी किया जा रहा हैं। आप समझ सकते हैं कि इन मजदूरों की स्थिति क्यर होगी। इसी तरह से वन विभाग में काम करने वाले मजदूर जो 10-15 साल से कार्यरत है, उसको 10 रुपया दिया जाता हैं। वन विभाग का स्टेट ट्रेडिंग में हजारों मजदूर की मजदूरी वाकी है लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है जिसके चलते उनमें रोश है। सभापति महोदय, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं-रांची जिले में खेलारी सीमेंट फैक्टरी है, ए० सी० सी० सीमेंट फैक्टरी है जो 53 वर्ष पुरानी है उसको तीन माह से बंद कर दिया गया है और हजारों मजदूर भूखमरी की स्थिति में आ गया है।

मंगलवार, तिथि 18 जुलाई, 1989 ई०

(अध्यक्ष महोदय आसन ग्रहण किये)

अध्यक्ष महोदय, अतः मेरी मांग है कि सरकार खेलारी सीमेंट फैक्टरी को ताला लगने से बचावे। इसी तरह मैं सारे मजदूर की समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में आग्रह है कि इस पर सरकार ध्यान दे नहीं तो अपराधकर्मी बढ़ रहे हैं पलामू में जिसके कारण बेरोजगारी है। अगर वहां की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो अपराध बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इतना ही कहकर में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सतीश चन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, समाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन देती है उसमें पहचान के लिये विचौलिया को रखा जाता है। इस प्रथा को समाप्त किया जाय और बैंक के माध्यम से, पोस्ट औफिस के माध्यम से पैसा दिलाया जाय ताकि गरीब को फायदा मिल सके। इस बात की घोषणा माननीय मंत्री अपने जबाब में देंगे।

<u>सरकारी वक्तव्य</u>

श्री महावीर पासवान : अध्यक्ष महोदय, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की मांग पर वाद-विवाद के क्रम में काफी संख्या में हमारे माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और बहुत से मूल्यवान सुझाव दिये। साथ ही साथ जहां कहीं भी त्रुटि है, उसकी ओर उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं कोशिश करूंगा कि जो कमी है, जहां पर त्रुटि दिखलायी गयी है,